केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक–425)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विकलांग/निःशक्तजन पेंशन योजना के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन (2006–07)

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	i - ix
प्रथम	मूल्यांकन संरचना	1 – 7
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	8 – 13
तृतीय	अध्ययन परिणाम	14 – 42
चतुर्थ	कठिनाईयाँ एवं सुझाव	43 – 48
	परिशिष्ट– *I - VI*	49 – 55

———

उद्‌बोधन

किसी भी राष्ट्र व समाज के विकास का स्तर उस समाज के निराश्रित, निर्धन, कमजोर एवं निःशक्तजनों के प्रति उनके दृष्टिकोण, व्यवहार एवं कार्यों से परिलक्षित होता है। निराश्रित/निसहाय लोगों के प्रति मानवीय संवेदनायें सुसंस्कृत एवं सभ्य समाज का प्रतिबिम्ब होती है। अतः प्रत्येक संवेदनशील राज्य के नीति–निर्माताओं का नैतिक दायित्व बनता है कि वे समाज के अन्य वर्गों के साथ–साथ इन निःशक्त निराश्रितों को न केवल जीवन की नैसर्गिक आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाये वरन् सभ्य समाज में सम्मान से जीने हेतु पर्याप्त निश्चित धनराशि भी नियमित रूप से उपलब्ध करवाये जिससे वे अपने स्तर पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

इसी उद्‌देश्य के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा पेंशन नियम 1965 के तहत् 8 से 65 वर्ष तक की आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले राजस्थान के मूल निवासी, जिनके परिवार में 20 वर्ष से अधिक आयु का अर्थोपार्जन करने योग्य सदस्य नहीं हो, उन्हें आर्थिक सम्बल देने हेतु पेंशन देने के प्रावधान किये गये। पेंशन राशि की पर्याप्तता, उपलब्धता एवं प्रभाव का आकलन करने हेतु कार्यक्रम का मूल्यांकन राज्य के मूल्यांकन संगठन विभाग द्वारा करवाया गया है।

अध्ययन के निष्कर्षों से परिलक्षित होता है कि पेंशन राशि निःशक्तजनों के लिये सम्मान के साथ जीने में सहायक सिद्ध हुई है। प्रतिवेदन में यथास्थान प्रासंगिक सुझाव दिये गये हैं जो योजना के सफल संचालन में उपयोगी सिद्ध होंगे। कार्यकारी विभाग द्वारा विकलांगों को पेंशन स्वीकृति हेतु सुगम, सरल प्रक्रिया अपनाकर तत्परता से लाभान्वित करना, योजना के मूल उद्‌देश्य एवं निहित भावना को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण प्रयास होगा।

तिथि : अप्रेल, 2008
स्थान : जयपुर

(यदुवेन्द्र माथुर)
शासन सचिव, आयोजना

आमुख

सम्मान एवं स्वाभिमान से जीवनयापन करना प्रत्येक मनुष्य की नैसर्गिक अभिलाषा होती है। प्रकृति एवं प्रारब्ध के प्रहार से पीड़ित असहाय, निःशक्त एवं दृष्टिहीन व्यक्ति भी सम्मान से जीना चाहते हैं। इन लोगों को जीवनयापन के न्यूनतम साधन, बिना उन्हें अपनी दुर्बलताओं का अहसास करवाये, उपलब्ध करवाना प्रत्येक प्रबुद्ध, संवेदनशील व्यक्ति के साथ ही समाज एवं राज्य का भी दायित्व है। राज्य में अनेकों गैर–सरकारी संगठन भी मानव कल्याण की प्रेरणा से प्रेरित जन–कल्याण के कार्य में संलग्न है। इसी श्रृंखला में राज्य सरकार द्वारा भी वर्ष 1964 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से 8 से 65 वर्ष की आयु के विकलांग एवं निःशक्तजनों को पेंशन उपलब्ध करवायी जाती है। कार्यक्रम की मूल अवधारणा के प्रभाव, राशि की पर्याप्तता एवं उपलब्धता की समीक्षा हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया है।

अध्ययन निष्कर्षों से परिलक्षित होता है कि राज्य में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 14.11 लाख व्यक्ति विकलांग थे। राज्य सरकार द्वारा इन विकलांग व्यक्तियों में से चयनित पात्रों को पेंशन दी जा रही है। इसी क्रम में वर्ष 2005–06 में 82.87 हजार विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दी गयी एवं 1671.10 लाख रुपये व्यय किये गये। राज्य सरकार को इन्हें पेंशन देने के साथ ही इन व्यक्तियों की विकलांगता निवारण की दिशा में यथासंभव सार्थक प्रयास करने चाहिये जिससे पेंशनधारी वर्ग का बढ़ता दायरा कम किया जा सके एवं विकलांग भी स्वावलम्बी बन सम्मानजनक जीवन जी सके।

प्रतिवेदन में पेंशन उपलब्धता, पर्याप्तता, समावेशित समूह की पात्रता आदि के सम्बन्ध में अनुभूत कठिनाईयों की विवेचना करते हुये यथास्थान सारगर्भित सुझाव दिये गये हैं। मैं आशा करती हूँ कि क्रियान्वयन विभाग के लिये वर्णित सुझाव उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि : अप्रेल,2008
स्थान : जयपुर

(मधु पोखरना)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

निष्पादक संक्षेप

I. प्रस्तावना :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समाज के आर्थिक रूप से गरीब यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्तियों के साथ–साथ विधवा एवं परित्यक्ता महिला तथा बच्चों के उत्थान हेतु अनेक विकासीय कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसमें विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना का मुख्य स्थान है।

II. विकलांग/निःशक्तजन पेंशन योजना का उद्धेश्य :

इस योजना का मुख्य उद्धेश्य पात्र विकलांग/निःशक्तजन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि संकट एवं पीड़ा के समय इनकी देखभाल एवं जीवनयापन में राज्य सरकार भागीदार बने तथा असहाय विकलांगों को समाज में सम्मान के साथ जीवन निर्वाह करने का अधिकार प्राप्त हो।

III. योजना का स्वरूप :

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों को पेंशन नियम,1965 के अन्तर्गत पेंशन उपलब्ध करवायी जा रही है जिसके अन्तर्गत 8 वर्ष या अधिक आयु के विकलांग/निःशक्तजन को प्रारम्भ में 200 रूपये प्रतिमाह दी जा रही थी।

समय–समय पर पेंशन राशि में वृद्धि की गयी। 01.04.06 से 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के विकलांगों को 400 रूपये एवं 65 वर्ष से कम उम्र के विकलांगों को 200 रूपये नकद एवं 10 किलो गेहूँ के बदले 50 रूपये अर्थात 250 रूपये प्रतिमाह दिये जा रहे थे। दिनांक 01.04.07 से सभी विकलांगों को 400 रूपये पेंशन दी जा रही है।

IV. पात्रता :

- राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो तथा स्थाई रूप से निवास करता हो,
- 8 वर्ष या अधिक आयु का हो,
- अपाहिज, अपंग या अंधा है, जिसके फलस्वरूप आजीविका कमाने में असमर्थ/अयोग्य है तथा जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है,
- जिसका कोई सम्बन्धी (पुत्र/पौत्र/पति/पत्नी/माता–पिता/भ्राता/पितामह) 20 वर्ष या अधिक आयु का हो तथा वह आजीविका कमाने योग्य है या उसके पास आय का साधन है तो वह विकलांग पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा,

- उपरोक्त में से किसी बात के होते हुए भी विकलांग जो किसी ऐसे परिवार का सदस्य हो जिसकी आई.आर.डी.पी./अन्त्योदय योजना के अधीन सर्वेक्षण व डी. आर.डी.ए. द्वारा प्रकाशित सूची के अनुसार ''गरीबी की रेखा के नीचे परिवार'' के रूप में पहचान की गई तो भी वह विकलांग/निःशक्त पेंशन के लिये पात्र होगा।
- भिखारी अथवा ऐसा व्यक्ति जिनका पेशा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना है वे पेंशन पाने के अधिकारी नहीं होगें।

V. अध्ययन की आवश्यकता :

राज्य सरकार के निर्देश पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवच के अन्तर्गत संचालित विकलांग/निःशक्तजन पेंशन योजना के तहत देय राशि की पर्याप्तता व उपलब्धता से लाभार्थियों पर पड़े प्रभाव के आकलन हेतु मूल्यांकन का कार्य मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया।

VI. अध्ययन के उद्धेश्य :

(i) योजनान्तर्गत वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की समीक्षा करना,

(ii) लाभान्वितों को देय राशि की पर्याप्तता, उपलब्धता एवं उपयोग का विश्लेषण करना

(iii) प्राप्त आर्थिक सहायता के प्रभाव का आकलन करना एवं

(iv) योजना के संचालन में अनुभूत कठिनाईयों/कमियाँ ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

VII. न्यादर्श प्रक्रिया :

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विधवा, वृद्वावस्था एवं विकलांग/निःशक्तजन पेंशन योजना का मूल्यांकन अध्ययन करने की सिफारिश की गयी थी ये तीनों योजनाएं राज्य के समस्त जिलों में संचालित की जा रही है। अतः समय एवं संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति का उपयोग कर विधवा पेंशन योजना की प्रगति के आधार पर न्यादर्श का चयन किया जाकर चयनित न्यादर्श को वृद्वावस्था एवं विकलांग पेंशन योजना के मूल्यांकन हेतु भी चयनित माना जाकर क्षेत्रीय कार्य किया गया। विधवा पेंशन योजना की न्यादर्श प्रक्रिया निम्न प्रकार थी :–

प्रथम स्तर पर संदर्भित अवधि के तीन वर्षों (2003–04, 2004–05 एवं 2005–06) में लाभार्थियों की संख्या को सम्भागवार घटते क्रम में व्यवस्थित कर सर्वाधिक लाभार्थियों वाले प्रथम तीन सम्भागों यथा जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर सम्भागों का चयन किया गया।

द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित सम्भाग से संदर्भित तीन वर्षों में सर्वाधिक लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर एक–एक जिला अर्थात तीन जिलों यथा जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर का चयन किया गया।

तृतीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से दो नगर निकाय एवं दो पंचायत समितियों का चयन किया गया। एक–एक नगर निकाय एवं पंचायत समिति का चयन सर्वाधिक लाभ प्राप्तकर्ता संख्या के आधार पर तथा एक–एक नगर निकाय एवं पंचायत समिति का चयन साधारण न्यादर्श पद्धत्ति अपनाकर किया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल 6 नगर निकाय एवं 6 पंचायत समितियों का चयन किया गया।

चतुर्थ स्तर पर प्रत्येक चयनित नगर निकाय से दो–दो वार्ड एवं प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से दो–दो ग्राम पंचायतों का चयन साधारण न्यादर्श पद्धत्ति से किया गया इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल 12 वार्ड एवं 12 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया।

अन्तिम स्तर पर प्रत्येक चयनित वार्ड एवं ग्राम पंचायत से वर्ष 2005–06 में लाभान्वितों से 15–15 लाभ प्राप्तकर्ताओं का चयन किया जाना निर्धारित किया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु चयनित वार्डों से 180 एवं चयनित ग्राम पंचायतों से 180 कुल 360 लाभ प्राप्तकर्ताओं का चयन किया जाना था। क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित वार्डों एवं ग्राम पंचायतों में कम संख्या में लाभान्वित पाये जाने के कारण वार्डों से 115 एवं चयनित ग्राम पंचायतों से 115 कुल 230 लाभार्थियों से अनुसूचियाँ भरी गयी।

प्रस्तुत अध्ययन में चयनित 230 लाभार्थियों के अलावा 55 अधिकारी–गैर अधिकारी उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के दौरान उनसे प्राप्त विचारों/तथ्यों एवं वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक प्राप्त प्रलेख सूचनाओं को संकलित कर विश्लेषण किया गया है।

VIII. **प्रगति समीक्षा :**

- राज्य में विकलांग लाभार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। जहाँ वर्ष 2003–04 में 60178 विकलांगों को पेंशन दी गयी वहीं वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में बढ़कर क्रमशः 66150 एवं 82875 हो गयी।
- योजनान्तर्गत व्यय की गयी राशि में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2003–04, 2004–05 एवं 2005–06 में क्रमशः 1399.10, 1522.00 एवं 1671.10 लाख रूपये व्यय किये गये।
- वर्ष 2005–06 में चयनित जिला जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर में क्रमशः 6968, 9168 एवं 2682 विकलांगों को पेंशन उपलब्ध करवायी गयी। जिला उदयपुर एवं अजमेर में शत प्रतिशत विकलांगों को मनीऑर्डर द्वारा भुगतान किया गया जबकि जयपुर जिले में 1717 विकलांगों को कोषालय से नकद भुगतान एवं शेष 5251 विकलांगों को मनीऑर्डर द्वारा पेंशन राशि उपलब्ध करवायी गयी।
- चयनित जिलों की विभाग से प्राप्त वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एवं जिलों से प्राप्त सूचनाओं में अन्तर पाया गया। विशेष तौर से अजमेर एवं उदयपुर जिले में अन्तर पाया गया।

IX. **अध्ययन परिणाम :**

(i) **लाभार्थियों का सामान्य विवरण** :

- चयनित 230 विकलांगों में से सर्वाधिक 130(56.52 प्रतिशत) 21 से 40 वर्ष, 46(20.00 प्रतिशत) 41 से 60 वर्ष, 46 (20.00 प्रतिशत) 21 वर्ष से कम एवं शेष 8(3.48 प्रतिशत) विकलांग 60 वर्ष से भी अधिक आयु के थे।
- योजनान्तर्गत 8 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति ही पात्र है। चयनित सभी लाभार्थी 8 वर्ष की आयु से ज्यादा के थे तथा चयनित लाभार्थियों में से 6 लाभार्थियों की आयु लगभग 10 वर्ष की थी।
- चयनित 230 विकलांग लाभार्थियों में से 165 (71.74 प्रतिशत) पुरूष, 63 (27.39 प्रतिशत) महिलाएं एवं शेष 2 (0.87 प्रतिशत) लाभार्थी पति–पत्नी दोनों संयुक्त रूप से पेंशन प्राप्त कर रहे थे।
- चयनित 230 विकलांगों में से 115 शहरी एवं 115 ग्रामीण क्षेत्र के थे।
- 90(39.13 प्रतिशत) लाभार्थी अनुसूचित जाति, 80(34.78 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग, 59 (25.6 प्रतिशत) सामान्य वर्ग एवं शेष 1 (0.44 प्रतिशत) लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग का था।

- 104(45.22 प्रतिशत) विकलांग निरक्षर एवं 126(54.78 प्रतिशत) शिक्षित थे।
- समस्त चयनित 230 लाभार्थी राज्य के मूल निवासी थे।
- चयनित 230 लाभार्थियों के परिवारों में 27 (11.74 प्रतिशत) विकलांग परिवारों में विकलांग स्वयं ही सदस्य थे अर्थात् अकेले थे।

(ii) **विकलांगों के आवास की स्थिति** :

चयनित 230 विकलांगों में से 175 (76.08 प्रतिशत) विकलांग स्वयं के आवास में रह रहे थे जबकि शेष 55(23.91 प्रतिशत) विकलांगों के पास स्वयं के आवास नहीं थे। जिन 175 विकलांगों के पास स्वयं के मकान थे, उनमें से 82(46.86 प्रतिशत) कच्चे मकानों में, 72 (41.14 प्रतिशत) पक्के मकानों में एवं शेष 21 (12.00 प्रतिशत) कच्चे पक्के मकानों में रह रहे थे।

(iii) **विकलांगों का रहवास** :

चयनित 230 विकलांगों में से 99 (43.04 प्रतिशत) विकलांग परिवार के साथ, 80 (34.78 प्रतिशत) माता–पिता के साथ, 24 (10.44 प्रतिशत) रिश्तेदार के साथ, 20 (8.70 प्रतिशत) अकेले एवं शेष 7 (3.04 प्रतिशत) लाभार्थी कुष्ठ आश्रम में रह रहे थे। ये 7 विकलांग लाभार्थी जयपुर शहरी क्षेत्र के थे।

(iv) **राशनकार्ड/बीपीएल कार्ड** :

चयनित 230 विकलांगों में से अधिकांश 222 (96.52 प्रतिशत) विकलांगों के पास राशनकार्ड थे। 99 (43.05 प्रतिशत) विकलांग बीपीएल चयनित थे।

(v) **पेंशन की जानकारी का माध्यम एवं पेंशन आवेदन हेतु सहयोग** :

ग्रामीण क्षेत्र में पेंशन की जानकारी एवं आवेदन–पत्र भरने में सहयोग देने वालों में सरपंच, वार्ड पंच एवं ग्राम सेवक प्रमुख थे तो शहरी क्षेत्र में प्रमुख स्त्रोत वार्ड मेम्बर व पार्षद थे।

(vi) **पेंशन स्वीकृत वर्ष** :

चयनित 230 विकलांगों में से 77 (33.48 प्रतिशत) विकलांगों को वर्ष 2000 से पूर्व एवं 70 (30.43 प्रतिशत) विकलांगों को वर्ष 2004–06 के मध्य पेंशन स्वीकृत हुई थी। 56(24.35 प्रतिशत) विकलांगों को वर्ष 2000 से 2002 के मध्य, 26 (11.31 प्रतिशत) को वर्ष 2002 से 2004 के मध्य एवं शेष 1 (0.43 प्रतिशत) को वर्ष 2006 के बाद पेंशन स्वीकृत हुई थी।

(vii) **पेंशन स्वीकृति में लगने वाला समय** :

44 (19.13 प्रतिशत) विकलांगों के पेंशन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के 1 माह के अन्दर, 41(17.83 प्रतिशत) विकलांगों की दो माह के अन्दर, 113 (49.13 प्रतिशत) को 2 से 4 माह में, 17 (7.39 प्रतिशत) को 4 से 6 माह में एवं 15 (6.52 प्रतिशत) विकलांगों की पेंशन 6 माह से ज्यादा समय में पेंशन स्वीकृत हुई। विभाग द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिये कि आवेदन के एक माह में पेंशन स्वीकृत हो जावे।

(viii) **पेंशन की प्राप्त राशि** :

- सर्वे दिनांक को 65 वर्ष एवं अधिक आयु के 6 (2.61 प्रतिशत) विकलांगों को 400 रूपये प्रतिमाह एवं शेष विकलांगों को जो 65 वर्ष से कम उम्र के थे उनको 250 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त हो रही थी।
- सर्वे दिनांक को चयनित 230 विकलांगो में से 170 (73.91 प्रतिशत) विकलांगो को मनीऑर्डर, 56 (24.35 प्रतिशत) को कोषालय से नकद एवं शेष 4 (1.74 प्रतिशत) विकलांगो को बैंक/डाकघर खाते से राशि प्राप्त होना पाया गया। कोषालय से नकद राशि प्राप्त करने वाले विकलांगो ज्यादातर शहरी क्षेत्र के थे।

(ix) **पेंशन की नियमितता** :

- चयनित 230 विकलांगों में से 115 (50.0 प्रतिशत) विकलांगों को नियमित एवं शेष 115 (50.0 प्रतिशत) विकलांगों को पेंशन राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रही थी। इनको पेंशन राशि 2 माह से 4 माह में प्राप्त हो रही थी। नियमित रूप से पेंशन राशि प्राप्त नहीं होने के मुख्य कारण कोष कार्यालय में विकलांगों का नहीं आना, ग्राम के बाहर अपने रिश्तेदारों के चले जाने से मनीऑर्डर वापस आ जाना तथा डाकघर के माध्यम से पेंशन प्रतिमाह वितरित न की जाकर प्रत्येक दो माह में मनीआर्डर द्वारा एक बार पेंशन राशि वितरित किया जाना था।
- सर्वे दिनांक को 142 विकलांगों को चालू माह की पेंशन प्राप्त हो चुकी थी लेकिन 3 विकलांगों की 1 माह, 49 विकलांगों की 2 माह, 18 विकलांगों की 3 माह एवं शेष 18 विकलांगों की 4 माह या इससे भी अधिक समय की पेंशन बकाया थी। पेंशन प्राप्त नहीं होने के मुख्य कारण यथा 2–2 माह की पेंशन मनीऑर्डर द्वारा आना, मनीऑर्डर का माह की 10–15 तारीख तक आना, कोष कार्यालय से समय पर डाकघरों में राशि नहीं भिजवाना, डाकघर में पेंशन लेने नहीं जाना इत्यादि रहे।

(x) **पेंशन राशि का उपयोग** :

ज्यादातर लाभार्थी पेंशन का उपयोग अन्न खरीदने, दवाईयों एवं घरेलू खर्च पर करते हैं। कुछ लाभार्थियों द्वारा पेंशन राशि का उपयोग उधार लिये गये ऋण के ब्याज चुकाने पर भी किया जा रहा है।

(xi) **पेंशन राशि की पर्याप्तता** :

230 विकलांगों में से 15 विकलांगों ने मिल रही पेंशन राशि को पर्याप्त एवं शेष 215 विकलांगों की राय में पेंशन राशि अपर्याप्त थी। उन्हें जीवन निर्वाह हेतु अतिरिक्त राशि की अन्यत्र स्थान से व्यवस्था करनी पड़ रही थी। ज्यादातर लाभार्थियों ने पेंशन राशि बढ़ाकर 500 रूपये करने की आवश्यकता बतायी।

(xii) **जीवन स्तर पर प्रभाव** :

सरकार द्वारा प्रदत्त पेंशन राशि से ज्यादातर लाभार्थियों ने अवगत कराया कि पेंशन राशि मिलने से पूर्व दूसरे निकटतम परिवारजनों/ग्रामवासियों पर निर्भर रहना पड़ता था अब मांगने के स्थान पर स्वयं ही खर्चा चला लेते हैं। पेंशन की व्यवस्था से स्वयं आत्मनिर्भर होना, सम्मानजनक जिन्दगी जीना, आर्थिक कठिनाईयाँ कम होना भी अवगत कराया गया। 157 लाभार्थियों ने निकटतम रिश्तेदारों की मदद के बजाय पेंशन राशि से गुजारा होने लग जाना या आत्मनिर्भर होना अवगत कराया।

X. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव :

(i) **पेंशन स्वीकृति** :

सामान्यतया पेंशन हेतु आवेदन करने से लेकर पेंशन स्वीकृत एवं पी.पी.ओ. जारी करने में 2 से 3 माह का समय लग जाता है। इसका मुख्य कारण स्वीकृति जारी करने एवं पी.पी.ओ. जारी करने का कार्य पृथक–पृथक अधिकारियों द्वारा व पृथक–पृथक विभागों द्वारा किया जाना है। अतः पेंशन स्वीकृति में लगने वाले समय को कम किये जाने हेतु समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

(ii) **आयु की गणना** :

आवेदकों/लाभार्थियों का आयु प्रमाण–पत्र न होने की स्थिति में आयु राशन कार्ड अथवा मतदाता पहचान–पत्र से भरी जाती है। राशन कार्ड एवं मतदाता पहचान–पत्र में आयु सही अंकित नहीं होने के कारण 65 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से ज्यादा की विकलांगों की राशि क्रमशः 200 एवं 400 रूपये होने के कारण देय राशि प्राप्त करने हेतु आयु में परिवर्तन कराने के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। वर्तमान में 65 वर्ष से कम आयु के विकलांगों की पेंशन राशि भी 400 रूपये होने के कारण यह विसंगति स्वतः ही दूर हो गयी है।

(iii) **ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर आवेदन पत्र भरवाने की व्यवस्था** :

ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अशिक्षित होने के कारण आवेदन–पत्र में कमियाँ/विसंगतियाँ होने के कारण ग्राम पंचायत/पंचायत समिति एवं तहसील में बार–बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। अतः जहाँ तक सम्भव हो पेंशन आवेदन–पत्र ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा अथवा अभियान/शिविर में तैयार करवाये जावें तथा उसी समय सूक्ष्म परीक्षण कर लिया जावे ताकि आवेदन–पत्र तैयार करवाने से आवेदक की पात्रता का भी सही आकलन हो सकेगा।

(iv) **विकलांग आवेदक की पात्रता में शिथिलता** :

विकलांग पेंशन के प्रावधान के अनुसार विकलांग व्यक्ति के 20 वर्ष का पुत्र होते ही पेंशन स्वतः ही बन्द हो जाती है। चयनित लाभार्थियों का मत था कि 20 वर्ष की आयु में पुत्र न तो अपनी पढ़ाई ही समाप्त कर पाता है न ही कमाने लायक होता है। अतः आयु पर पुनर्विचार किया जाकर 25 वर्ष किया जाना उपयुक्त रहेगा।

(v) **विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं में समन्वय** :

योजना में पेंशन स्वीकृति आदेश, पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) एवं पेंशन भुगतान अलग–अलग अधिकारियों द्वारा किया जाता है। स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा यह जानकारी प्राप्त नहीं की जाती है कि कितनों को पी. पी. ओ. जारी हुए एवं कितने पेंशन स्वीकृत आवेदकों को पेंशन प्राप्त हो रही है। इस प्रकार स्वीकृत अधिकारी (विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी), कोषालय एवं तहसील में समन्वय का अभाव है। अतः सम्पूर्ण योजना का जिला/पंचायत समिति/ निकाय स्तर पर एक नोडल अधिकारी बनाया जावे जो प्राप्त आवेदन–पत्रों, स्वीकृत आवेदन–पत्र, जारी पी. पी.ओ. एवं वास्तविक भुगतान आवेदकों की मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(vi) **मॉनिटरिंग व्यवस्था** :

योजना की सबसे बड़ी कमी प्रत्येक स्तर पर मॉनिटरिंग का अभाव है किसी भी स्तर पर योजना के प्रबोधन हेतु निर्धारित प्रपत्र एवं निश्चित दिनांक निर्धारित नहीं है केवल कोषालय में ग्रामीण व शहरी की अलग–अलग सूचना उपलब्ध है। यहाँ तक कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालयों में भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जावे। इस हेतु फॉर्मेट/प्रपत्र बनाकर संबंधित अधिकारियों को भेजकर जिम्मेदारी निश्चित की जावे ताकि सूचनाओं में एकरूपता आ सके।

(vii) **पेंशन भुगतान व्यवस्था** :

वर्तमान में पोस्ट ऑफिस में ही लाभार्थी का बचत खाता खोलकर उसके माध्यम से पेंशन भुगतान की व्यवस्था प्रगति पर है। पोस्ट ऑफिस में स्टाफ की कमी व पेंशन प्राप्तकर्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण विकलांगों को भुगतान में परेशानी होती है एवं

डाककर्मियों को पोस्टिंग में परेशानी होती है। कई विकलांगों का पोस्ट ऑफिस तक आना जाना भी कठिन है। पास बुक/चैक बुक खोने का खतरा है तथा दूसरे व्यक्ति/रिश्तेदार से राशि मंगवाने पर पूरी राशि नहीं मिलने का भी अंदेशा रहेगा।

(viii) **पेंशन में वृद्धि की जानकारी** :

अधिकांश चयनित विकलांगों को पेंशन की राशि कब बढ़ी एवं कब से मिल रही है इत्यादि की जानकारी नहीं थी। बढ़ी हुई राशि का भुगतान अलग–अलग माहों से होना पाया गया। अतः मनीआर्डर की रसीद अवश्य दी जानी चाहिये तथा पेंशन में वृद्धि के साथ–साथ पेंशन राशि भुगतान समयावधि की जानकारी भी मनीआर्डर की रसीद पर अंकित कर भिजवायी जानी चाहिये।

(ix) **सभी पात्र विकलांगों को पेंशन** :

क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह तथ्य उभरकर आया कि जिन ग्रामों में सरपंच/वार्ड पंच जागरूक हैं, वे शिविरों में ज्यादा से ज्यादा पेंशन आवेदन–पत्र तैयार करवाकर स्वीकृत करवा लेते हैं लेकिन जिन क्षेत्रों में पटवारी/ग्राम सेवक/सरपंच इस कार्य में रूचि नहीं लेते हैं वहाँ पर पात्र विकलांग पेंशन से वंचित रह जाते हैं। अतः ग्रामसभा में समय–समय पर लगने वाले अभियान/शिविर में पात्र विकलांगों से आवेदन–पत्र भरवाकर पेंशन स्वीकृत करवाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

निष्कर्ष :

विकलांग/निःशक्तजन पेंशन असहाय विकलांगों के लिए अत्यधिक सहायक एवं उपयोगी रही है। वर्तमान में 250 (200 नकद एवं 50 रूपये के गेहूँ) की राशि को बढ़ाया जाकर 400 रूपये कर दिया गया है। यद्यपि यह राशि सम्पूर्ण गुजारा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तथापि प्राप्त पेंशन राशि से विकलांगों को बहुत सम्बल मिला है, समाज व परिवार में उनका सम्मान एवं मनोबल बढ़ा है, उनके आर्थिक स्तर में तुलनात्मक रूप से वृद्धि हुई है। योजना के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभा में समय–समय पर समस्त पात्र विकलांगों के आवेदन–पत्र भरवाये जावें ताकि उसी समय आवेदन–पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण किया जा सके। यदि सम्भव हो सके तो स्वीकृत आदेश/पी.पी.ओ. की प्रति साधारण डाक से न भेजी जाकर पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे। पेंशन के नियमित भुगतान हेतु व कार्यालय में भीड़ कम करने के उद्धेश्य से ग्राम पंचायतवार तिथि निश्चित कर दी जावे। योजना के मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि योजना संबंधित सूचनाएँ एक स्थान पर उपलब्ध हो सके।

———

अध्याय – प्रथम

मूल्यांकन संरचना

1.1 परिचयात्मक विवरण :

1.1.1 भारत के संविधान के भाग 4 – ''राज्य की नीति के निदेशक तत्व'' से सम्बन्धित अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि – राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतः, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा, में अन्तर्निहित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये लोक कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जन–कल्याणकारी योजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही अर्थात् वर्ष 1951–52 ''पिछड़ी जाति कल्याण विभाग'' की स्थापना की गयी। कालान्तर में विभाग के कार्य क्षेत्र में वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 1955–56 में विभाग का नाम ''समाज कल्याण विभाग'' कर दिया। वर्ष 2006–07 में समाज कल्याण विभाग का नाम ''सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग'' कर दिया गया है। समाज के आर्थिक रूप से गरीब यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, विधवा एवं परित्यक्ता महिला तथा बच्चों के उत्थान हेतु अनेक विकासीय कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, इनमें विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं का मुख्य स्थान है। पेंशन योजना का मुख्य उद्धेश्य पात्र व्यक्तियों/महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि संकट एवं पीड़ा के समय इनकी देखभाल एवं जीवनयापन में राज्य सरकार भागीदार बने तथा पीड़ित लोगों को समाज में सम्मान के साथ जीवन निर्वाह करने का अधिकार प्राप्त हो।

1.2 विकलांग/निःशक्त पेंशन :

1.2.1 पृष्ठभूमि :

1.2.1.1 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में 14,11,979 लाख व्यक्ति (8,40,650 पुरूष तथा 5,71,329 महिलाएं) विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है। इनको सहायता तथा अनुदान, निःशुल्क उपकरण तथा पेंशन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। विकलांग कल्याण योजनान्तर्गत राज्य में विकलांग छात्रवृत्ति, कृत्रिम अंग, स्वरोजगार हेतु उपकरण, ऋण/अनुदान, पुनर्वास केन्द्र, रोड़वेज बस किराये में राहत,

संदर्भ केन्द्र के माध्यम से सेवाएं, विभिन्न प्रशिक्षण, पोलियो करेक्शन केन्द्र, खेल–कूद प्रतियोगिताऐं, विवाह पर अनुदान आदि कार्यक्रमों के अतिरिक्त सरकारी विभागों, निगम, बोर्ड की नौकरियों में, शिक्षा प्राप्ति हेतु दाखिले में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों को गति प्रदान करने तथा मोनेटरिंग हेतु अधिनियम 1995 के अन्तर्गत अलग से आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से विकलांग कल्याण के सभी कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से विकलांग तथा निःशक्तजनों की सुरक्षा व कल्याण हेतु संचालित योजनाओं में से विकलांग पेंशन योजना का मुख्य स्थान है। विकलांग निःशक्त पेंशन योजना मुख्य उद्देश्य पात्र विकलांग व्यक्ति/महिला को उपलब्ध करायी गयी पेंशन राशि से अपनी देखभाल एवं जीवन यापन की व्यवस्था कर सके तथा विकलांग लोगों समाज में सम्मान के साथ जीवन निर्वाह कर सके।

1.2.2 देय पेंशन राशि :

1.2.2.1 राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों को पेंशन नियम,1965 के अन्तर्गत पेंशन उपलब्ध करवायी जा रही है। योजनान्तर्गत दिनांक 1–4–2006 से पूर्व पात्र विकलांग/निःशक्तजन को 200 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही थी। समाज कल्याण विभाग के आदेश दिनांक 28–6–2006 के द्वारा विकलांगों को दिनांक 1–7–2006 से 10 किलो गेहूँ प्रतिमाह के स्थान पर 50 रुपये मासिक नकद भुगतान पेंशन राशि में अतिरिक्त किया गया। आदेश दिनांक 6–9–2006 के द्वारा दिनांक 1–4–2006 से 65 वर्ष एवं अधिक आयु की महिला अथवा पुरूष विकलांग को 400/– रुपये प्रतिमाह एवं आदेश दिनांक 21–4–2007 के द्वारा दिनांक 1–4–2007 से विकलांग पेंशन रुपये 250/– प्रतिमाह (मय रुपये 50/– गेहूँ के बदले शामिल करते हुए) के स्थान पर 400/– रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। विभाग के आदेश दिनांक 28–6–2006, 6–9–2006 एवं 21–4–2007 की एक–एक प्रति ***परिशिष्ट–I, II एवं III*** पर उपलब्ध है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक 30–11–07 (***परिशिष्ट–IV***) के द्वारा राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों के पेंशन नियम 1965 में किये गये संशोधन के अनुसार पेंशन पाने वाले पुरूष एवं महिला को 400/– रुपये मासिक मिलेगी, परन्तु कोई व्यक्ति राज्य सरकार/ भारत सरकार/ अन्य राज्य सरकार या प्राईवेट संस्थाओं व अन्य स्थानों से रुपये 400/– मासिक से कम पेंशन अथवा निर्वाह भत्ता पाता है तो उसे रुपये 400/– में से जो पेंशन/भत्ता मिलता है उसका केवल अन्तर ही देय है। 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए दिनांक 1–4–2006 से एवं 65 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए दिनांक 1–4–2007 से यह संशोधन लागू किया गया।

1.3 **पात्रता (विकलांग/निःशक्त पेंशन हेतु) :**

(1) राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो तथा स्थाई रूप से निवास करता हो,

(2) 8 वर्ष या अधिक आयु का हो,

(3) अपाहिज, अपंग या अंधा है, जिसके फलस्वरूप आजीविका कमाने में असमर्थ/अयोग्य है तथा जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है,

(4) जिसका कोई सम्बन्धी (पुत्र/पौत्र/पति/पत्नी/माता–पिता/भ्राता/पितामह) 20 वर्ष या अधिक आयु का हो तथा वह आजीविका कमाने योग्य है या उसके पास आय का साधन है तो वह विकलांग पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा,

(5) उपरोक्त में से किसी बात के होते हुए भी विकलांग जो किसी ऐसे परिवार का सदस्य हो जिसकी आई.आर.डी.पी./अन्त्योदय योजना के अधीन सर्वेक्षण व डी. आर.डी.ए. द्वारा प्रकाशित सूची के अनुसार ''गरीबी की रेखा के नीचे परिवार'' के रूप में पहचान की गई तो भी वह विकलांग/निःशक्त पेंशन के लिये पात्र होगा।

(6) भिखारी अथवा ऐसा व्यक्ति जिनका पेशा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना है वे पेंशन पाने के अधिकारी नहीं होगें।

1.4 **आवेदन एवं स्वीकृति :**

1.4.1 प्रार्थी को निर्धारित आवेदन प्रपत्र में भरकर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृति आदेश जारी किये जाते हैं। संबंधित कोष, उपकोष कार्यालय द्वारा पेंशन वितरण का कार्य किया जाता है। इस सम्बन्ध में विकलांग/निःशक्त पेंशन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ***परिशिष्ट–V*** पर उपलब्ध है।

1.5 **पेंशन योजना की प्रगति :**

1.5.1 राज्य में सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत विकलांग/निःशक्त पेंशन योजना वर्ष 1965 से क्रियान्वित की जा रही है जिसके तहत पात्रताधारी आशार्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पेंशन राशि का वितरण किया जा रहा है। राज्य में पिछले तीन वर्षों की योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्न प्रकार रही है :–

सारिणी–1

वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

वर्ष	बजट आवंटन (लाख रूपये में)	जिलों को वितरित राशि	व्यय (लाख रूपये में)	व्यय का प्रतिशत	लाभान्वित (संख्या)
1	2	3	4	5	6
2003–04	1500.00	1400.17	1399.10	99.92	60178
2004–05	1450.00	1522.00	1522.00	100.00	66150
2005–06	1600.00	1671.12	1671.10	99.99	82875
योग	**4550.00**	**4593.29**	**4592.20**	**99.97**	**209203**

1.5.2 योजनान्तर्गत संदर्भित वर्षों में बजट आवंटित राशि 4550.00 लाख रुपये के विपरीत 4593.29 लाख रुपये जिलों को भिजवायी गई जिसके विपरीत 4592.20 (99.97 प्रतिशत) लाख रुपये व्यय कर 209203 विकलांग/निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन राशि उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया।

1.6 **अध्ययन की आवश्यकता :**

1.6.1 राज्य सरकार के निर्देश पर जेन्डर बजटिंग एवं आडिटिंग को दृष्टिगत रखते हुए समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवच के अन्तर्गत संचालित विकलांग/निःशक्त पेंशन योजना के तहत देय राशि की पर्याप्ता व उपलब्धता से लाभार्थियों पर पडे प्रभाव के आकलन हेतु मूल्यांकन का कार्य राज्य मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया।

1.7 **अध्ययन के उद्देश्य :**

1.7.1 अध्ययन हेतु निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये :–

(1) योजनान्तर्गत वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की समीक्षा करना,

(2) योजनान्तर्गत लाभान्वितों को देय राशि की पर्याप्तता, उपलब्धता (वितरण) एवं उपयोग का विश्लेषण करना,

(3) योजनान्तर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता के प्रभाव का आकलन करना, एवं

(4) योजना के संचालन में अनुभूत कठिनाईयों/कमियों को ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

1.8 न्यादर्श प्रक्रिया :

1.8.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं विकलांग/निःशक्त पेंशन योजना के मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिश की गयी थी। ये तीनों योजनाएं राज्य के सभी जिलों में संचालित की जा रही है अतः समय एवं संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति को अपनाते हुए विधवा पेंशन योजना की प्रगति के आधार पर न्यादर्श का चयन किया जाकर चयनित न्यादर्श को वृद्धावस्था पेंशन योजना व विकलांग/निःशक्त पेंशन योजना के मूल्यांकन हेतु भी चयनित माना जाकर क्षेत्रीय कार्य किया गया। विधवा पेंशन योजना की न्यादर्श प्रक्रिया निम्न प्रकार थी :–

- प्रथम स्तर पर संदर्भित अवधि के तीन वर्षों (2003–04, 2004–05 एवं 2005–06) के लाभार्थियों की संख्या को सम्भागवार घटते क्रम में व्यवस्थित कर सर्वाधिक लाभार्थियों की संख्या वाले प्रथम तीन सम्भागों यथा जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर सम्भागों का चयन किया गया।
- द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित सम्भाग से संदर्भित तीन वर्षों में सर्वाधिक लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर एक–एक जिला अर्थात तीन जिलों यथा जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर का चयन किया गया।
- तृतीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से दो नगर निकाय एवं दो पंचायत समितियों का चयन किया गया। एक–एक नगर निकाय एवं पंचायत समिति का चयन सर्वाधिक लाभ प्राप्तकर्ता संख्या के आधार पर तथा एक–एक नगर निकाय एवं पंचायत समिति का चयन साधारण न्यादर्श पद्धत्ति अपनाकर किया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल 6 नगर निकाय एवं 6 पंचायत समितियों का चयन किया गया।
- चतुर्थ स्तर पर प्रत्येक चयनित नगर निकाय से दो–दो वार्ड एवं प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से दो–दो ग्राम पंचायतों का चयन साधारण न्यादर्श पद्धत्ति से किया गया इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल 12 वार्ड एवं 12 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया।
- अन्तिम स्तर पर प्रत्येक चयनित वार्ड एवं ग्राम पंचायत से वर्ष 2005–06 में लाभान्वितों में अधिकतम 15–15 लाभ प्राप्तकर्त्ताओं का चयन किया जाना निर्धारित किया गया था। इस प्रकार अध्ययन हेतु चयनित वार्डों से 180 एवं चयनित ग्राम पंचायतों से 180 कुल 360 लाभ प्राप्तकर्त्ताओं का चयन किया जाना था। क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित वार्डों एवं चयनित ग्राम पंचायतों में कम संख्या में लाभान्वित पाये जाने के कारण क्षेत्रीय कार्य के दौरान क्रमशः 115 एवं 115 कुल 230 लाभार्थियों से अध्ययन हेतु साक्षात्कार कर अनुसूचियाँ भरी गयी।
- चयनित जिलों, नगर निकायों, पंचायत समितियों के नाम व शहरी/ग्रामीण लाभार्थियों की संख्या निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारिणी–2
चयनित जिलों/नगर निकाय/पंचायत समिति/वार्ड व ग्राम पंचायतों व लाभार्थियों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	संभाग मुख्यालय	चयनित जिला	चयनित नगर निकाय (शहरी)	पंचायत समिति (ग्रामीण)	वार्ड	ग्राम पंचायत	लाभार्थी		
							शहरी	ग्रामीण	कुल
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	जयपुर	जयपुर	2 (1.झोटवाड़ा 2.चाकसू)	2 (1.आमेर 2.बस्सी)	4	4	46	32	78
2.	उदयपरु	उदयपुर	2 (1.उदयपुर 2.सलूम्बर)	2 (1.कोटडा 2.झाडोल)	4	4	39	53	92
3.	अजमेर	अजमेर	2 (1.अजमेर 2.ब्यावर)	2 (1.मसूदा 2.जवाजा)	4	4	30	30	60
	3	**3**	**6**	**6**	**12**	**12**	**115**	**115**	**230**

1.8.2 उक्त सारिणी से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अध्ययन 230 लाभार्थियों पर आधारित है जिसमें 115 लाभार्थी शहरी व 115 लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र के थे।

1.9 अध्ययन हेतु निर्धारित अनुसूचियाँ :

(1) प्रलेख अनुसूची :

इस अनुसूची में राज्य स्तर पर तथा चयनित जिलों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति यथा– विकलांग/निःशक्त पेंशन योजना में चयनित लाभार्थियों की संख्या एवं वितरित पेंशन राशि तथा राज्य सरकार/विभाग से प्राप्त राशि व उसके उपयोग सम्बन्धी सूचनाऐं एकत्रित की गयी।

(2) लाभार्थी अनुसूची :

इस अनुसूची में पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों से पेंशन हेतु आवेदन–पत्र, पेंशन स्वीकृति, पर्याप्तता, समय पर प्राप्ति, राशि का उपयोग तथा सार्वजनिक जीवन में पड़े प्रभाव के बारे में तथा स्वीकृत पेंशन राशि मिलने में आ रही कठिनाईयों एवं उनके निराकरण हेतु प्राप्त सुझावों का समावेश किया गया।

(3) अधिकारी/गैर–अधिकारी अनुसूची :

योजना से सम्बन्धित अधिकारी, उपखण्ड़ अधिकारी, विकास अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी तथा जन–प्रतिनिधि, वार्ड मेम्बर, पंच/सरपंच आदि से भरी गयी।

(4) **डाकघर अनुसूची :**

चयनित ग्राम पंचायत के डाकघर, जहाँ से लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त होती है, से डाकघर अनुसूची भरी गयी।

(5) **अवलोकन टिप्पणी :**

क्षेत्रीय कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा क्षेत्रीय कार्य करते समय लाभार्थी तथा योजना का लाभार्थी पर पड़े प्रभाव, लाभार्थी की सामाजिक स्थिति आदि के सम्बन्ध में विस्तृत टिप्पण प्राप्त की गयी। टिप्पण में उन बिन्दुओं का समावेश किया गया जिनके बारे में सूचना/विचार अनुसूची में नहीं आये है। संक्षेप में इस टिप्पण के माध्यम से तथ्यों पर आधारित गुणात्मक सूचना, कार्यक्रम की कमियाँ एवं सुझाव संकलित किये गये।

1.10 **संदर्भ अवधि :**

1.10.1 अध्ययन से सम्बन्धित प्रलेख सूचना वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक एकत्रित की गयी। अधिकारी/गैर–अधिकारी एवं लाभार्थियों के विचार सर्वे दिनांक से सम्बन्धित है।

————

अध्याय – द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.1 विकलांग/निःशक्त पेंशन योजना स्वरूप :

2.1.1 राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों को पेंशन नियम 1965 के अन्तर्गत राज्य के समस्त जिलों में विकलांग एवं निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन उपलब्ध करवायी जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवच अन्तर्गत संचालित विकलांग एवं निःशक्त व्यक्तियों की पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र व्यक्तियों/महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि संकट एवं पीड़ा के समय इनकी देखभाल एवं जीवन यापन में राज्य सरकार भागीदार बने तथा पीड़ित लोगों को समाज में सम्मान के साथ जीवन निर्वाह करने का अधिकार प्राप्त हो।

2.1.2 पेंशन योजनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा पेंशन स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में भरकर ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड़ अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा प्रार्थी के पेंशन स्वीकृति आदेश जारी कर उसकी प्रति सम्बन्धित कोषाधिकारी को पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) जारी करने हेतु भिजवायी जाती है। कोषाधिकारी द्वारा पी.पी.ओ. जारी कर उसकी प्रति सम्बन्धित पेंशन भुगतान अधिकारी/सहायक पेंशन भुगतान अधिकारी को भुगतान हेतु भिजवाते हैं तथा पी.पी.ओ. की प्रति प्रार्थी को भी भिजवायी जाती है। पेंशन भुगतान अधिकारी द्वारा पेंशनर को नगद/मनीआर्डर द्वारा स्वीकृत राशि उपलब्ध करवायी जाती है।

2.1.3 विकलांग पेंशन योजनान्तर्गत दिनांक 1–4–2006 से पूर्व सभी पेंशनर को 200/– रुपये प्रतिमाह उपलब्ध करवायी जाती थी किन्तु दिनांक 1–4–2006 से 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के विकलांग पेंशनर को 400/– रुपये प्रतिमाह उपलब्ध करवायी जा रही है।

2.2 राज्य स्तरीय प्रगति :

2.2.1 भौतिक प्रगति :

2.2.1.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त विकलांग/निःशक्तजन पेंशन के लाभार्थियों की गत तीन वर्षों की भौतिक प्रगति निम्न सारिणी में दर्शायी गई है तथा जिलेवार प्रगति ***परिशिष्ट–VI*** पर उपलब्ध है।

सारिणी–3

विकलांग पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2007–08 तक की भौतिक प्रगति

क्र.सं.	वर्ष	लाभान्वितों की संख्या
1	*2*	*3*
1.	2003–04	60178
2.	2004–05	66150
3.	2005–06	82875
4.	2006–07 (प्रस्तावित)	95864
5.	2007–08 (लक्ष्य)	99504

2.2.1.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि राज्य में विकलांग लाभार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2003–04 में जहाँ 66178 विकलांगों को पेंशन दी गयी वहीं यह संख्या वर्ष 2004–05 में बढ़कर 66150 व वर्ष 2005–06 में 82875 हो गयी। विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2006–07 में 95864 विकलांगों को पेंशन उपलब्ध करायी गयी एवं वर्ष 2007–08 में 99504 विकलांगों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः विभाग द्वारा विकलांगों को लाभान्वित करने की संख्या में प्रत्येक वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। ***परिशिष्ट–VI*** में जिलेवार लाभान्वितों की संख्या का विश्लेषण भी यह दर्शाता है कि प्रत्येक जिले में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

2.2.2 वित्तीय प्रगति :

2.2.2.1 विकलांग पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक बजट प्रावधान/संशोधित बजट प्रावधान व व्यय राशि निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारिणी–4

विकलांग पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक बजट प्रावधान एवं व्यय

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	बजट प्रावधान	संशोधित बजट आवंटन	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	2003–04	1500.00	1500.00	1399.10	93.27
2.	2004–05	1500.00	1450.00	1522.00	104.97
3.	2005–06	1500.00	1600.00	1671.10	104.44
4.	2006–07	1600.00	2000.00	1943.22	97.16

2.2.2.2 उपरोक्त सारिणी के समंकों को देखने से ज्ञात होता है कि :–

(i) वर्ष 2003–04 में बजट प्रावधान राशि 1500.00 लाख रुपये के विपरीत 1399.10 लाख रुपये (93.27 प्रतिशत) लाख रुपये व्यय किये। वर्ष 2004–05 में बजट प्रावधान 1500.00 लाख रुपये से कम कर संशोधित बजट आवंटन 1450.00 लाख रुपये किये गये जिसके विपरीत 1522.00 (104.97 प्रतिशत) लाख रुपये व्यय किये गये।

(ii) वर्ष 2005–06 में बजट प्रावधान राशि 1500.00 लाख रुपये से बढ़ाकर संशोधित बजट आवंटन राशि 1600.00 लाख रुपये करने के बावजूद 1671.10 (104.44 प्रतिशत) लाख रुपये व्यय किये गये जबकि वर्ष 2006–07 में 1600.00 लाख रुपये के बजट प्रावधान को बढ़ाकर 2000.00 लाख रुपये का संशोधित बजट आवंटन किया गया जिसमें से 1943.22 (97.16 प्रतिशत) लाख रुपये व्यय किये गये।

2.3 चयनित जिला स्तरीय प्रगति :

2.3.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विकलांग पेंशन योजना का बजट आवंटन जिला कोषालय (ग्रामीण/शहरी) को किया जाता है क्योंकि विकलांग पेंशनर को भुगतान जिला कोषालय के माध्यम से पेंशन भुगतान अधिकारी/सहायक पेंशन भुगतान अधिकारी द्वारा किया जाता है। अध्ययन हेतु चयनित तीनों जिलों यथा– जयपुर, अजमेर एवं उदयपुर से जिला स्तरीय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के समंकों की सूचना प्राप्त की गयी। उदयपुर जिले से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय, जिला अजमेर से कोषालय अजमेर एवं ब्यावर, जिला जयपुर से कोषालय (ग्रामीण) एवं उपकोष कार्यालय पेंशन (शहरी) से प्राप्त की गयी। योजना की वर्षवार राज्य स्तरीय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को पूर्व में वर्णित किया जा चुका है। जिला स्तरीय प्राप्त सूचनाओं, लाभान्वितों की संख्या, महिला लाभार्थी एवं पेंशन राशि के वितरण सम्बन्धी प्राप्त सूचनाओं का संकलन जिलेवार किया जाकर विवेचन किया गया है जो निम्न प्रकार है।

2.3.2 **लाभान्वितों में महिला सहभागिता :**

2.3.2.1 चयनित जिलों में मार्च,2006 तक पुरूष एवं महिला लाभान्वितों की संख्या एवं विभाग द्वारा प्राप्त लाभान्वितों की सूचनाओं का संकलित विवरण निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

सारिणी–5

वर्ष 2005–06 में लाभान्वितों की जिलेवार संख्या

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	वर्ष 2005–06 में लाभान्वितों की संख्या जिलों द्वारा प्रदत्त		
		पुरूष	महिला	योग
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	जयपुर	3960 (56.83)	3008 (43.17)	6968 (100.00)
2.	उदयपुर	4730 (51.59)	4438 (48.41)	9168 (100.00)
3.	अजमेर	1968 (73.38)	714 (26.62)	2682 (100.00)
	योग	**10658 (53.78)**	**9160 (46.22)**	**19818 (100.00)**

कोष्ठक ( ) में कुल लाभान्वितों से पुरूष एवं महिला लाभान्वितों का प्रतिशत दर्शाया गया है।

2.3.2.2 उपरोक्त सारिणी को देखने से अवगत होता है कि :–

(i) चयनित तीनों जिलों में मार्च,2006 तक 19818 विकलांग व्यक्तियों को पेंशन उपलब्ध करवायी जा रही थी जिनमें से 9160 (46.22 प्रतिशत) महिला लाभार्थी थी।

(ii) उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा 48.41 प्रतिशत महिलाओं को, जयपुर जिले में 43.17 प्रतिशत एवं अजमेर जिले में सबसे कम 26.62 प्रतिशत महिलाओं को विकलांग पेंशन उपलब्ध करवायी जा रही थी।

(iii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त लाभार्थियों की संख्या जिले से प्राप्त सूचना से मेल नहीं खाती है। अजमेर जिले से प्राप्त सूचना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त सूचना से कम है तो जयपुर एवं उदयपुर जिले की जिलों से प्राप्त सूचना ज्यादा है। इसका प्रमुख कारण सम्भवतया मार्च की सूचनाओं को उसी वर्ष में सम्मिलित किया गया अथवा अगले वर्ष में सम्मिलित किया जाना रहा होगा। विभाग द्वारा राशि का आवंटन कोषालयों को किया जाता है एवं कोषालयों द्वारा ही पेंशनरों को पेंशन राशि उपलब्ध करवायी जाती है तथा योजना की प्रगति सम्बन्धी सूचनाएं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा तैयार की जाती है। वर्ष के अन्त में जिलों से यथासमय वास्तविक लाभान्वितों की सूचना के अभाव के कारण ही सम्भवतया भौतिक प्रगति में अन्तर रहा होगा। अतः विभाग द्वारा मार्च तक वास्तविक लाभान्वितों की सूचनाओं को उसी वित्तीय वर्ष में सम्मिलित करने हेतु मानिटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए जिससे मार्च तक के लाभान्वितों की संख्या उसी वित्तीय वर्ष में सम्मिलित हो सके।

2.3.3 पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान :

2.3.3.1 चयनित जिलों से वर्षवार विकलांग पेंशन योजना अन्तर्गत जारी स्वीकृतियों, जारी पी.पी.ओ. एवं भुगतान किये जा रहे व्यक्तियों की संख्या प्राप्त की गयी। चयनित जिला उदयपुर से चाहे अनुसार सूचना प्राप्त नहीं हुई तथा शेष दो जिलों जयपुर एवं अजमेर से वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 में कोषालयों को प्राप्त पेंशन स्वीकृति एवं जारी किये गये पी.पी.ओ. तथा नियमित भुगतान किये गये पेंशनरों की सूचना का विवरण निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

सारिणी–6

वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 के दौरान कोषालयों को प्राप्त पेंशन स्वीकृति आदेश, जारी पी.पी.ओ. एवं नियमित भुगतान के आवेदकों की संख्या

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	प्राप्त पेंशन स्वीकृतियों की संख्या			जारी पी.पी.ओ. की संख्या			पेंशनरों की संख्या जिन्हें नियमित रूप से भुगतान प्रारम्भ किया गया		
		2004–05	2005–06	योग	2004–05	2005–06	योग	2004–05	2005–06	योग
1.	जयपुर	79	759	838	79	759	838	79	759	838
2.	अजमेर	425	272	697	425	272	697	425	272	697
	योग	**504**	**1031**	**1535**	**504**	**1031**	**1535**	**504**	**1031**	**1535**

2.3.3.2 उपरोक्त सारिणी को देखने से विदित होता है कि वर्ष 2004–05 में चयनित जिला जयपुर एवं अजमेर में क्रमशः 79 एवं 425 कुल 504 आवेदकों की तथा वर्ष 2005–06 में क्रमशः 759 एवं 272 कुल 1031 आवेदकों की पेंशन स्वीकृति कोषालयों को प्राप्त हुई। कोषालयों द्वारा समस्त स्वीकृत आवेदकों के उसी वर्ष में पी.पी.ओ. जारी कर पेंशनरों को उसी वित्तीय वर्ष में पेंशन राशि का नियमित भुगतान करवाना प्रारम्भ करवा दिया गया।

2.3.4 पेंशन राशि का भुगतान माध्यम :

2.3.4.1 सामान्यतया पेंशन का भुगतान मनीआर्डर द्वारा किया जाता है लेकिन पेंशन का भुगतान कोषालय से नकद रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है इसी प्रकार पेंशन राशि को बैंक में जमा कराने का भी प्रावधान किया गया है लेकिन सबसे लोकप्रिय साधन मनीआर्डर ही है। चयनित जिलों में मार्च,2006 तक के लाभप्राप्तकर्त्ताओं को भुगतान का तरीका निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

सारिणी–7

पेंशन राशि के भुगतान का माध्यम

(लाभार्थियों की संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	कोषालय से नकद भुगतान	मनीआर्डर द्वारा	योग
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	जयपुर	1717	5251	6968
2.	उदयपुर	–	9168	9168
3.	अजमेर	–	2682	2682

2.3.4.2 उपरोक्त सारिणी में अंकित समंकों के अनुसार चयनित जिला उदयपुर एवं अजमेर जिले में समस्त पेंशनरों को मनीआर्डर द्वारा पेंशन राशि उपलब्ध करवायी जा रही थी, केवल जयपुर जिले में 6968 पेंशनरों में 1717 (24.64 प्रतिशत) पेंशनरों को कोषालय से नगद भुगतान एवं शेष 5251 (75.36 प्रतिशत) पेंशनरों को मनीआर्डर द्वारा राशि का भुगतान किया जा रहा था।

————

अध्याय तृतीय

अध्ययन परिणाम

3.1 न्यादर्श स्वरूप :

3.1.1 जैसाकि पूर्व में वर्णित किया जा चुका है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना के मूल्यांकन अध्ययन हेतु चयनित न्यादर्श को ही विकलांग/निःशक्त पेंशन योजना के अध्ययन हेतु चयनित माना गया, जिसके अनुसार सर्वाधिक लाभार्थियों वाले प्रथम तीन (50 प्रतिशत) सम्भागों यथा–जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर का चयन कर प्रत्येक चयनित तीन सम्भाग से गत तीन वर्षों में सर्वाधिक लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर एक–एक जिले का यथा–जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर का चयन विकलांग/निःशक्त पेंशन योजना के क्षेत्रीय कार्य हेतु माना गया। जिले के चयन के पश्चात् चयनित जिले से दो नगर निकाय व दो पंचायत समितियों का चयन किया जाकर प्रत्येक चयनित नगर निकाय के दो–दो वार्ड एवं प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से दो–दो ग्राम पंचायतों का चयन कर प्रत्येक चयनित क्षेत्र से अधिकतम 15–15 लाभार्थियों का चयन कर क्षेत्रीय कार्य सम्पन्न किया गया। क्षेत्रीय कार्य के समय चयनित पंचायत समितियों, नगरपालिकाओं एवं चयनित क्षेत्र के डाकघरों से विभिन्न प्रलेख सूचनाएं प्राप्त करने के साथ–साथ कार्यकारियों से विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श कर जानकारियाँ प्राप्त की गई तथा लाभार्थियों एवं सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं के साक्षात्कार के दौरान उनसे योजना सम्बन्धी जानकारी भी प्राप्त की गयी। क्षेत्रीय कार्य के दौरान अध्ययन के उद्देश्यों के अनुसार पेंशन आवेदन से लेकर पेंशन प्राप्त करने तक आ रही कठिनाईयाँ एवं पेंशन का उपयोग आदि के बारे में विशेष ध्यान दिया गया। अध्ययन के न्यादर्श के अनुसार भरी गयी अनुसूचियों का जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :–

सारिणी संख्या–8

न्यादर्श अनुसार भरी गयी अनुसूचियों का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	न्यादर्श अनुसार भरी गयी अनुसूचियों की संख्या							
		जिला प्रलेख	नगर निकाय	पंचायत समिति	लाभार्थी (शहरी)	लाभार्थी (ग्रामीण)	योग (6+7)	सरकारी/ गैर सरकारी	डाकघर अनुसूची
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	जयपुर	1	2	2	46	32	78	9	5
2	उदयपुर	1	1	2	39	53	92	37	2
3	अजमेर	1	2	2	30	30	60	9	–
	योग	**3**	**5**	**6**	**115**	**115**	**230**	**55**	**7**

3.1.2 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के चयनित प्रत्येक वार्ड एवं ग्राम पंचायतों से अधिकतम 15–15 लाभार्थियों से कुल 360 लाभार्थी अनुसूची भरी जानी थी, परन्तु चयनित वार्ड/ ग्राम पंचायत में कम संख्या में लाभान्वित पाये जाने के कारण 230 लाभार्थियों से ही अनुसूची भरी गयी। अजमेर जिले के डाकघर अनुसूची की सूचनाएं अपर्याप्त रही।

3.1.3 प्रस्तुत अध्याय उपरोक्त वर्णित अनुसूचियों के माध्यम से प्राप्त समंक, तथ्य, विचार एवं प्रलेख सूचनाओं एवं क्षेत्रीय कार्य के दौरान अवलोकित तथ्यों पर आधारित है। प्राप्त समंकों, विचारों एवं अवलोकित तथ्यों का संकलन कर विश्लेषण किया गया जो निम्नानुसार है :–

3.2 लाभार्थियों का सामान्य विवरण :

3.2.1 लाभार्थियों का प्रकार :

3.2.1.1 अध्ययन हेतु चयनित 230 लाभार्थियों का चयनित जिलेवार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रवार, महिला एवं पुरूष वर्गवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या–9
लाभार्थियों का क्षेत्रवार एवं वर्गवार विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	लाभार्थियों की संख्या										
		ग्रामीण			शहरी				योग			
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	संयुक्त	योग	पुरूष	महिला	संयुक्त	योग
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	जयपुर	23	9	32	36	10	–	46	59	19	–	78
2.	उदयपुर	36	17	53	25	12	2	39	61	29	2	92
3.	अजमेर	22	8	30	23	7	–	30	45	15	–	60
	योग	**81**	**34**	**115**	**84**	**29**	**2**	**115**	**165**	**63**	**2**	**230**

3.2.1.2 उपरोक्त तालिका में अंकित समंकों के अनुसार लाभार्थियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

(i) अध्ययन हेतु चयनित 230 पेंशन लाभार्थियों में से 78 लाभार्थी चयनित जिला जयपुर, 92 जिला उदयपुर एवं शेष 60 लाभार्थी चयनित जिला अजमेर के थे।

(ii) 115 चयनित लाभार्थी शहरी क्षेत्र एवं 115 लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र के थे।

(iii) चयनित 230 लाभार्थियों में 165 (71.74 प्रतिशत) लाभार्थी पुरूष, 63 (27.39 प्रतिशत) महिला लाभार्थी एवं शेष 2 (0.87 प्रतिशत) लाभार्थी पति–पत्नी दोनों संयुक्त रूप से विकलांग पेंशन राशि प्राप्त कर रहे थे।

3.2.2 **आयु :**

3.2.2.1 विकलांग/निःशक्त पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का चयनित जिलेवार एवं शहरी ग्रामीणवार आयु का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या–10

लाभार्थियों की आयु का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	लाभार्थी की आयु अनुसार संख्या			
			21 वर्ष से कम	21–40	41–60	60 वर्ष से अधिक
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**जयपुर**					
	शहरी	46	9	30	6	1
	ग्रामीण	32	8	17	6	1
	योग	**78**	**17**	**47**	**12**	**2**
2.	**उदयपुर**					
	शहरी	39	12	19	7	1
	ग्रामीण	53	12	27	10	4
	योग	**92**	**24**	**46**	**17**	**5**
3.	**अजमेर**					
	शहरी	30	4	15	10	1
	ग्रामीण	30	1	22	7	–
	योग	**60**	**5**	**37**	**17**	**1**
4.	**महायोग**					
	शहरी	115	25	64	23	3
	ग्रामीण	115	21	66	23	5
	कुलयोग	**230**	**46**	**130**	**46**	**8**
	प्रतिशत		**20.00**	**56.52**	**20.00**	**3.48**

3.2.2.2 उपर्युक्त तालिका को देखने से विदित होता है कि :–

(i) चयनित 230 लाभार्थियों में से सर्वाधिक 130(56.52 प्रतिशत) लाभार्थी 21 से 40 वर्ष की आयु के थे, 46(20.00 प्रतिशत) 41 से 60 वर्ष, 46(20.00 प्रतिशत) 20 वर्ष तक की आयु के एवं शेष 8 (3.48 प्रतिशत) लाभार्थी 60 वर्ष से भी अधिक आयु के थे।

(ii) चयनित जिलेवार एवं ग्रामीण शहरी निकायवार विश्लेषण भी यही दर्शाता है कि चयनित वार्ड/निकाय में भी अधिकांश लाभार्थियों की आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य थी।

(iii) विकलांग पेंशन योजनान्तर्गत 8 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति ही पात्र है। चयनित सभी लाभार्थी 8 वर्ष की आयु से ज्यादा के थे। 46 चयनित लाभार्थी 20 वर्ष तक की आयु के थे जिनमें से 6 लाभार्थियों की उम्र लगभग 10 वर्ष थी। इससे स्पष्ट है कि चयनित लाभार्थियों की पेंशन पात्रता के अनुसार ही स्वीकृत की गयी।

3.2.3 **जाति** :

3.2.3.1 चयनित 230 लाभार्थियों का जातिवार वर्गीकरण निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या–11
लाभार्थियों का जातिवार विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	वर्गवार लाभार्थियों की संख्या			
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**जयपुर**					
	शहरी	46	14	–	10	22
	ग्रामीण	32	11	1	10	10
	योग	**78**	**25**	**1**	**20**	**32**
2.	**उदयपुर**					
	शहरी	39	11	–	18	10
	ग्रामीण	53	42	–	4	7
	योग	**92**	**53**	**–**	**22**	**17**
3.	**अजमेर**					
	शहरी	30	11	–	11	8
	ग्रामीण	30	1	–	27	2
	योग	**60**	**12**	**–**	**38**	**10**
4.	**महायोग**					
	शहरी	115	36	–	39	40
	ग्रामीण	115	54	1	41	19
	कुलयोग	**230**	**90**	**1**	**80**	**59**
	प्रतिशत		**39.13**	**0.44**	**34.78**	**25.65**

3.2.3.2 उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि 230 चयनित लाभ प्राप्तकर्त्ताओं में से 90 (39.13 प्रतिशत) लाभार्थी अनुसूचित जाति के, 80 (34.78 प्रतिशत) लाभार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग, 59 (25.65 प्रतिशत) लाभार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग के एवं शेष 1 (0.44 प्रतिशत) लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग का है।

3.2.4 **साक्षर** :

3.2.4.1 चयनित 230 लाभार्थियों के शिक्षित/निरक्षर की जिलेवार सूचना निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारिणी संख्या–12
लाभार्थियों का शैक्षणिक स्तर

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	शिक्षित	निरक्षर
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**जयपुर**			
	शहरी	46	21	25
	ग्रामीण	32	21	11
	योग	**78**	**42**	**36**
2.	**उदयपुर**			
	शहरी	39	24	15
	ग्रामीण	53	16	37
	योग	**92**	**40**	**52**
3.	**अजमेर**			
	शहरी	30	22	8
	ग्रामीण	30	22	8
	योग	**60**	**44**	**16**
4.	**महायोग**			
	शहरी	115	67	48
	ग्रामीण	115	59	56
	कुलयोग	**230**	**126**	**104**
	प्रतिशत		**54.78**	**45.22**

3.2.4.2 उपर्युक्त सारिणी का विश्लेषण यह दर्शाता है कि 230 चयनित लाभार्थियों में से 126 (54.78 प्रतिशत) शिक्षित एवं 104 (45.22 प्रतिशत) लाभार्थी निरक्षर पाये गये। उपर्युक्त सारिणी का शहरी/ग्रामीण विश्लेषण यह दर्शाता है कि चयनित 115 शहरी लाभार्थियों में से 67 (58.26 प्रतिशत) शिक्षित थे, जबकि चयनित 115 ग्रामीण लाभार्थियों में से 59 (51.30 प्रतिशत) शिक्षित थे। इससे स्पष्ट है कि चयनित लाभार्थियों में से शहरी क्षेत्र के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा शिक्षित है एवं अध्ययन हेतु चयनित विकलांग लाभार्थियों में से 54.78 प्रतिशत लाभार्थियों का शिक्षित होना अच्छा संकेत है। यह विकलांगों की शिक्षा के प्रति जागरूकता दर्शाता है।

3.2.5 **मूल निवासी** :

3.2.5.1 विकलांग पेंशन के चयनित समस्त 230 (शत–प्रतिशत) लाभार्थी राजस्थान के ही मूल निवासी है।

3.3 पारिवारिक विवरण :

3.3.1 परिवार में सदस्यों की संख्या :

3.3.1.1 चयनित 230 विकलांग परिवार में सदस्यों की संख्या का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या–13

चयनित विकलांग के परिवारों में सदस्य संख्या

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	कुल सदस्य	पुरूष	महिला	बच्चे
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**जयपुर**					
	शहरी	46	196	62	56	78
	ग्रामीण	32	182	47	47	88
	योग	**78**	**378**	**109**	**103**	**166**
2.	**उदयपुर**					
	शहरी	39	139	39	37	63
	ग्रामीण	53	253	75	64	114
	योग	**92**	**392**	**114**	**101**	**177**
3.	**अजमेर**					
	शहरी	30	76	30	23	23
	ग्रामीण	30	114	36	31	47
	योग	**60**	**190**	**66**	**54**	**70**
4.	**महायोग**					
	शहरी	115	411	131	116	164
	ग्रामीण	115	549	158	142	249
	कुलयोग	**230**	**960**	**289**	**258**	**413**
	प्रतिशत			**30.10**	**26.88**	**43.02**

3.3.1.2 उपर्युक्त सारिणी का अध्ययन यह दर्शाता है कि 230 परिवारों में कुल 960 सदस्य थे अर्थात एक परिवार में औसतन चार सदस्य थे। सारिणी का सूक्ष्म विश्लेषण यह दर्शाता है कि कुल सदस्यों में 289(30.10 प्रतिशत) पुरूष, 258(26.88 प्रतिशत) महिलाएं एवं शेष 413(43.02 प्रतिशत) बच्चे थे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति परिवार पुरूष, महिला एवं बच्चों की संख्या शहरी क्षेत्र से ज्यादा पायी गयी। संक्षेप में चयनित लाभार्थी परिवारों में 43.02 प्रतिशत सदस्य नाबालिग (बच्चे) पाये गये एवं शेष 56.98 प्रतिशत वयस्क (महिला एवं पुरूष) सदस्य थे।

3.3.1.3 चयनित 230 लाभार्थी परिवारों में से 27 (11.74 प्रतिशत) विकलांग परिवार में विकलांग स्वयं ही सदस्य था। 32 (13.91 प्रतिशत) परिवारों में दो सदस्य एवं शेष 171 (74.35 प्रतिशत) परिवारों में दो से अधिक सदस्य थे।

3.3.2 **परिवार में कमाने वाले सदस्यों का विवरण** :

3.3.2.1 चयनित 230 विकलांग परिवारों में कमाने वाले सदस्यों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारणी संख्या–14

चयनित विकलांग के परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	परिवार में कुल सदस्य संख्या	परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या	कमाने वाले सदस्यों के अनुसार परिवार संख्या		
					निल	1	1 से ज्यादा
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	**जयपुर**						
	शहरी	46	196	57	8	25	13
	ग्रामीण	32	182	47	2	17	13
	योग	**78**	**378**	**104**	**10**	**42**	**26**
2.	**उदयपुर**						
	शहरी	39	139	38	6	28	5
	ग्रामीण	53	253	80	2	25	26
	योग	**92**	**392**	**118**	**8**	**53**	**31**
3.	**अजमेर**						
	शहरी	30	76	24	11	14	5
	ग्रामीण	30	114	37	1	21	8
	योग	**60**	**190**	**61**	**12**	**35**	**13**
4.	**महायोग**						
	शहरी	115	411	119	25	67	23
	ग्रामीण	115	549	164	5	63	47
	कुलयोग	**230**	**960**	**283**	**30**	**130**	**70**
	प्रतिशत				**13.04**	**56.52**	**30.44**

3.3.2.2 उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 30(13.04 प्रतिशत) परिवार ऐसे थे जिनमें एक भी सदस्य कमाने वाला नहीं था, 130(56.52 प्रतिशत) परिवारों में केवल एक सदस्य कमाने वाला था, 70(30.44 प्रतिशत) परिवारों में 1 से अधिक सदस्य कमाने वाले थे। चयनित 230 लाभार्थी परिवारों में औसतन चार सदस्य है जिनमें 283 सदस्य ही कमाने वाले हैं एवं आधे से ज्यादा (56.52 प्रतिशत) परिवारों में केवल एक ही सदस्य कमाने वाला था तथा 13.04 प्रतिशत विकलांग परिवारों में कोई भी सदस्य कमाने वाला नहीं था।

3.3.3 **परिवार में पशुधन** :

3.3.3.1 चयनित परिवारों में पशुधन का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारणी संख्या–15
चयनित परिवारों में पशुधन का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	कोई भी पशुधन नहीं	पशुओं की संख्यावार परिवार		
				1 पशु	2 पशु	2 पशु से अधिक
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**जयपुर**					
	शहरी	46	44	2	–	–
	ग्रामीण	32	20	3	6	3
	योग	**78**	**64**	**5**	**6**	**3**
2.	**उदयपुर**					
	शहरी	39	38	1	–	–
	ग्रामीण	53	26	10	14	3
	योग	**92**	**64**	**11**	**14**	**3**
3.	**अजमेर**					
	शहरी	30	30	–	–	–
	ग्रामीण	30	18	9	3	–
	योग	**60**	**48**	**9**	**3**	**–**
4.	**महायोग**					
	शहरी	115	112	3	–	–
	ग्रामीण	115	64	22	23	6
	कुलयोग	**230**	**176**	**25**	**23**	**6**
	प्रतिशत		**76.52**	**10.87**	**10.00**	**2.61**

3.3.3.2 उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि चयनित 230 परिवारों में से 176 (76.52 प्रतिशत) परिवारों के पास किसी प्रकार का पशुधन उपलब्ध नहीं था, शेष 54 (23.48 प्रतिशत) परिवारों के पास पशु पाये गये। 25(10.87 प्रतिशत) परिवारों के पास केवल एक पशु, 23(10.00 प्रतिशत) परिवारों के पास दो पशु एवं 6(2.61 प्रतिशत) परिवारों के पास 2 से अधिक पशु थे। शहरी क्षेत्र के परिवारों के पास पशु बहुत कम थे जबकि ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के पास पशु अधिक थे। संक्षेप में चयनित विकलांगों के परिवारों में से 23.48 प्रतिशत परिवारों के पास ही पशुधन उपलब्ध था एवं इन परिवारों के पास भी पशुधन नहीं के बराबर था जो यह दर्शाता है कि चयनित विकलांग वास्तव में गरीब थे।

3.3.4 **परिवार की वार्षिक आय** :

3.3.4.1 चयनित 230 विकलांगों के परिवार की वार्षिक आय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या–16
चयनित परिवारों की वार्षिक आय अनुसार विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	वार्षिक आय (हजार रुपये में)				
			5 हजार से कम	5–10	10–15	15 से अधिक	आय का कोई स्त्रोत नहीं
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	**जयपुर**						
	शहरी	46	2	14	12	11	7
	ग्रामीण	32	7	4	7	12	2
	योग	**78**	**9**	**18**	**19**	**23**	**9**
2.	**उदयपुर**						
	शहरी	39	11	11	10	5	2
	ग्रामीण	53	28	9	7	7	2
	योग	**92**	**39**	**20**	**17**	**12**	**4**
3.	**अजमेर**						
	शहरी	30	13	7	1	2	7
	ग्रामीण	30	11	15	3	–	1
	योग	**60**	**24**	**22**	**4**	**2**	**8**
4.	**महायोग**						
	शहरी	115	26	32	23	18	16
	ग्रामीण	115	46	28	17	19	5
	कुलयोग	**230**	**72**	**60**	**40**	**37**	**21**
	प्रतिशत		**31.30**	**26.09**	**17.39**	**16.09**	**9.13**

3.3.4.2 चयनित 230 विकलांग परिवारों में से 21(9.13 प्रतिशत) विकलांगों के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं था। वे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे थे अर्थात सरकार से मिलने वाली पेंशन से ही अपना निर्वाह कर रहे थे। 72(31.30 प्रतिशत) परिवारों की वार्षिक आय 5000/– रुपये से भी कम थी, 60(26.09 प्रतिशत) परिवारों की आय 5 से 10 हजार के मध्य, 40(17.39 प्रतिशत) परिवारों की आय 10 से 15 हजार के बीच, 37(16.09 प्रतिशत) परिवारों की आय 15 हजार रुपये से अधिक थी। संक्षेप में चयनित 9.13 प्रतिशत परिवारों की आय का कोई स्त्रोत नहीं था, 57.39 प्रतिशत परिवारों की आय 10 हजार रुपये से कम थी।

3.4 चयनित लाभार्थी का व्यवसाय :

3.4.1 चयनित 230 लाभार्थियों द्वारा वर्तमान/सर्वेक्षण दिनांक को की जा रही आर्थिक गतिविधी/व्यवसाय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या–17
वर्तमान में किये जा रहे कार्य का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	वर्तमान में क्या कर रहे हैं				
			कृषि	मजदूरी	स्वयं का छोटा–मोटा व्यवसाय	अन्य कार्य (पढ़ाई, कार्य सिखना, पशु चराना आदि)	कुछ नहीं
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	**जयपुर**						
	शहरी	46	–	18	4	1	23
	ग्रामीण	32	2	9	5	4	12
	योग	**78**	**2**	**27**	**9**	**5**	**35**
2.	**उदयपुर**						
	शहरी	39	–	6	5	1	27
	ग्रामीण	53	5	8	4	5	31
	योग	**92**	**5**	**14**	**9**	**6**	**58**
3.	**अजमेर**						
	शहरी	30	–	8	2	1	19
	ग्रामीण	30	3	12	2	–	13
	योग	**60**	**3**	**20**	**4**	**1**	**32**
4.	**महायोग**						
	शहरी	115	–	32	11	3	69
	ग्रामीण	115	10	29	11	9	56
	कुलयोग	**230**	**10**	**61**	**22**	**12**	**125**
	प्रतिशत		**4.35**	**26.52**	**9.57**	**5.22**	**54.34**

3.4.2 उपर्युक्त सारिणी यह दर्शाती है कि चयनित 230 विकलांग लाभार्थियों में से 10 (4.35 प्रतिशत) लाभार्थी कृषि, 61(26.52 प्रतिशत) लाभार्थी मजदूरी, 22(9.57 प्रतिशत) लाभार्थी स्वयं का छोटा–मोटा व्यवसाय करते थे। 12(5.22 प्रतिशत) लाभार्थी पढ़ाई, पशु चराना, कार्य सिखना इत्यादि कार्य एवं शेष 125(54.34 प्रतिशत) लाभार्थी किसी प्रकार का धन्धा नहीं करते थे। संक्षेप में 40.44 प्रतिशत विकलांग लाभार्थी किसी न किसी प्रकार का छोटा–मोटा धन्धा करते थे एवं शेष आधे से ज्यादा 59.56 प्रतिशत लाभार्थी किसी भी प्रकार का धन्धा नहीं करते थे। इससे स्पष्ट है कि चयनित विकलांग लाभार्थियों द्वारा आजीविका हेतु नियमित व्यवसाय नहीं किया जा रहा था।

3.5 विकलांग लाभार्थियों के आवास :

3.5.1 चयनित 230 विकलांग लाभार्थियों के आवास की स्थिति निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारिणी संख्या–18
विकलांग लाभार्थियों के आवास की स्थिति

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	स्वयं का आवास		कच्चा	पक्का	कच्चा / पक्का
			हाँ	नहीं			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	**जयपुर**						
	शहरी	46	28	18	4	22	2
	ग्रामीण	32	25	7	8	16	1
	योग	**78**	**53**	**25**	**12**	**38**	**3**
2.	**उदयपुर**						
	शहरी	39	31	8	9	13	9
	ग्रामीण	53	50	3	46	1	3
	योग	**92**	**81**	**11**	**54**	**14**	**12**
3.	**अजमेर**						
	शहरी	30	15	15	1	14	–
	ग्रामीण	30	26	4	14	6	6
	योग	**60**	**41**	**19**	**15**	**20**	**6**
4.	**महायोग**						
	शहरी	115	74	41	14	49	11
	ग्रामीण	115	101	14	68	23	10
	कुलयोग	**230**	**175**	**55**	**82**	**72**	**21**
	प्रतिशत		**76.08**	**23.91**	**46.86**	**41.14**	**12.00**

3.5.2 उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित 230 लाभार्थियों में से 175(76.08 प्रतिशत) विकलांग स्वयं के आवास में रह रहे थे जबकि शेष 55(23.91 प्रतिशत) विकलांग लाभार्थियों के पास स्वयं के आवास नहीं थे। 55 लाभार्थियों में से 41 लाभार्थी शहरी क्षेत्र में तथा मात्र 14 लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र में थे। जिन 175 लाभार्थियों के पास स्वयं के मकान थे उनमें से 82(46.86 प्रतिशत) कच्चे मकानों में, 72(41.14 प्रतिशत) पक्के मकानों में एवं शेष 21(12.00 प्रतिशत) कच्चे पक्के मकानों में रह रहे थे। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि :–

(i) ग्रामीण लाभार्थियों के पास शहरी लाभार्थियों की तुलना में स्वयं के अधिक आवास थे लेकिन अधिकांश आवास कच्चे थे।
(ii) ज्यादातर शहरी लाभार्थी पक्के मकान में रह रहे थे।
(iii) जिन लाभार्थियों के पास स्वयं का आवास नहीं था वे या तो किराये पर रह रहे थे या निकटतम रिश्तेदार के पास रह रहे थे।

3.6 विकलांगों का रहवास :

3.6.1 विकलांगों से यह जानना आवश्यक समझा गया कि वे परिवार में किसके साथ रह रहे है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्युत्तर निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या–19
विकलांगों के रहवास की स्थिति

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	किसके साथ रह रहे है				
			परिवार के साथ	माता–पिता के साथ	रिश्तेदार के साथ	अकेले	आश्रम में
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	**जयपुर**						
	शहरी	46	24	11	13	1	7
	ग्रामीण	32	19	9	12	2	–
	योग	**78**	**43**	**20**	**25**	**3**	**7**
2.	**उदयपुर**						
	शहरी	39	12	20	2	5	–
	ग्रामीण	53	14	24	11	4	–
	योग	**92**	**26**	**44**	**13**	**9**	**–**
3.	**अजमेर**						
	शहरी	30	9	9	6	6	–
	ग्रामीण	30	21	7	–	2	–
	योग	**60**	**30**	**16**	**6**	**8**	**–**
4.	**महायोग**						
	शहरी	115	45	40	11	12	–
	ग्रामीण	115	54	40	23	8	–
	कुलयोग	**230**	**99**	**80**	**24**	**20**	**7**
	प्रतिशत		**43.04**	**34.78**	**10.44**	**8.70**	**3.04**

3.6.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि 99(43.04 प्रतिशत) विकलांग अपने परिवार के साथ, 80(34.78 प्रतिशत) माता–पिता के साथ, 24(10.44 प्रतिशत) अपने रिश्तेदारों के साथ, 20(8.70 प्रतिशत) अकेले एवं शेष 7(3.04 प्रतिशत) आश्रम में रह रहे थे। आश्रम में रह रहे सभी 7 विकलांग जयपुर शहरी क्षेत्र में हैं एवं वे कुष्ठ आश्रम में रह रहे थे।

3.7 राशन कार्ड/बी पी एल कार्ड :

3.7.1 चयनित 230 विकलांगों में से अधिकांश अर्थात 222(96.52 प्रतिशत) विकलांगों के पास राशन कार्ड थे। मात्र 8(3.48 प्रतिशत) विकलांगों के पास राशन कार्ड नहीं थे। चयनित 230 विकलांगों में से 99(43.04 प्रतिशत) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे और 90 विकलांगों ने बी.पी.एल. कार्ड बना रखे थे। जिलेवार बी.पी.एल.चयनित विकलांगों की संख्या निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारिणी संख्या–20
बी पी एल चयनित विकलांग लाभार्थी का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	बी पी एल चयनित विकलांग लाभार्थी	बी पी एल कार्ड बना हुआ है	मौके पर बी पी एल कार्ड पाया गया
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**जयपुर**				
	शहरी	46	11	8	4
	ग्रामीण	32	12	6	5
	योग	**78**	**23**	**14**	**9**
2.	**उदयपुर**				
	शहरी	39	18	18	18
	ग्रामीण	53	25	25	25
	योग	**92**	**43**	**43**	**43**
3.	**अजमेर**				
	शहरी	30	15	15	14
	ग्रामीण	30	18	18	17
	योग	**60**	**33**	**33**	**31**
4.	**महायोग**				
	शहरी	115	44	41	36
	ग्रामीण	115	55	49	47
	कुलयोग	**230**	**99**	**90**	**83**
	प्रतिशत		**43.04**	**90.91**	**83.84**

3.7.2 उपर्युक्त सारिणी यह दर्शाती है कि अध्ययन हेतु प्रत्येक जिले में चयनित लाभार्थियों में सें बी पी एल परिवार के सदस्य पेंशन प्राप्त कर रहे थे। 99 बी.पी.एल. विकलांग परिवारों में से 90 उत्तरदाताओं ने बी.पी.एल. कार्ड बना हुआ अवगत कराया। सर्वेक्षण तिथि को बी.पी.एल. कार्ड के अवलोकन करने पर 83 लाभार्थियों के पास बी.पी. एल. कार्ड उपलब्ध था। जिन लाभार्थियों के पास सर्वे दिनांक को बी.पी.एल. कार्ड उपलब्ध नहीं था उसके मुख्यतः कारण यथा कार्ड का गुम हो जाना, किसी कारणवश दूसरे व्यक्ति को देना तथा परिवार के सदस्य के पास होना अवगत कराया गया।

3.8 विकलांग पेंशन प्राप्त होने की समयावधि :

3.8.1 चयनित 230 विकलांगों को गत कितने वर्षों से पेंशन मिल रही है, का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या–21
अवधिवार पेंशन प्राप्त करने वाले विकलांग

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	2000 से पूर्व	2000 से 2002	2002 से 2004	2004 से 2006	2006 के पश्चात्
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	**जयपुर**						
	शहरी	46	10	28	5	2	1
	ग्रामीण	32	8	14	3	7	–
	योग	**78**	**18**	**42**	**8**	**9**	**1**
2.	**उदयपुर**						
	शहरी	39	8	13	10	8	–
	ग्रामीण	53	51	1	–	1	–
	योग	**92**	**59**	**14**	**10**	**9**	**–**
3.	**अजमेर**						
	शहरी	30	–	–	8	22	–
	ग्रामीण	30	–	–	–	30	–
	योग	**60**	**–**	**–**	**8**	**52**	**–**
4.	**महायोग**						
	शहरी	115	18	41	23	32	1
	ग्रामीण	115	59	15	3	38	–
	कुलयोग	**230**	**77**	**56**	**26**	**70**	**1**
	प्रतिशत		**33.48**	**24.35**	**11.31**	**30.43**	**0.43**

3.8.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 77(33.48 प्रतिशत) विकलांगों को वर्ष 2000 से पूर्व से ही पेंशन प्राप्त कर रहे थे। 70(30.43 प्रतिशत) विकलांगों को वर्ष 2004–06 के मध्य से, 56(24.35 प्रतिशत) विकलांगों को वर्ष 2000 से 2002 के मध्य, 26(11.31 प्रतिशत) को 2002 से 2004 के मध्य एवं शेष 1(0.43 प्रतिशत) को वर्ष 2006 के बाद से पेंशन प्राप्त कर रहे थे। संक्षेप में चयनित लाभार्थियों में सभी 8 वर्षों के लाभार्थी थे। जिलेवार विश्लेषण में केवल अजमेर ऐसा जिला था जिसमें 60 विकलांगों में से 52 विकलांगों को वर्ष 2004–06 के मध्य से पेंशन प्राप्त हो रही थी। शेष सभी जिलों में सभी वर्षों के लाभार्थी थे।

3.9 विकलांगता का स्तर :

3.9.1 चयनित विकलांग लाभार्थियों की विकलांगता के प्रतिशत सम्बन्धी प्राप्त सूचना का जिलेवार विवरण निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या–22
विकलांगता के प्रतिशतानुसार लाभार्थियों का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	कुल उत्तरदाता	विकलांगता के प्रतिशतानुसार लाभार्थियों का विवरण			
			40 प्रतिशत तक	40––50 प्रतिशत	50–75 प्रतिशत	75 प्रतिशत से ज्यादा
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**जयपुर**					
	शहरी	46	–	31	11	4
	ग्रामीण	32	–	23	3	6
	योग	**78**	**–**	**54**	**14**	**10**
2.	**उदयपुर**					
	शहरी	39	–	28	8	3
	ग्रामीण	53	–	40	8	5
	योग	**92**	**–**	**68**	**16**	**8**
3.	**अजमेर**					
	शहरी	30	–	21	1	8
	ग्रामीण	30	–	22	3	5
	योग	**60**	**–**	**43**	**4**	**13**
4.	**महायोग**					
	शहरी	115	–	80	20	15
	ग्रामीण	115	–	85	14	16
	कुलयोग	**230**	**–**	**165**	**34**	**31**
	प्रतिशत			**71.74**	**14.78**	**13.48**

3.9.2 उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि चयनित 230 उत्तरदाताओं में से 165 (71.74 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की विकलांगता 40–50 प्रतिशत तक, 34 (14.78 प्रतिशत) की 50–75 प्रतिशत के मध्य एवं शेष 31(13.48 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की विकलांगता 75 प्रतिशत से ज्यादा थी। किसी भी चयनित विकलांग की शारीरिक अयोग्यता/ विकलांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं थी।

3.10 पेंशन की जानकारी का माध्यम :

3.10.1 अध्ययन हेतु चयनित लाभार्थियों से पेंशन योजना के बारे में जानकारी प्राप्त होने के माध्यम की जानकारी प्राप्त की गयी। प्राप्त जानकारी का जिलेवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या–23

पेंशन की जानकारी का माध्यम

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	ग्राम सेवक	सरपंच	पटवारी	अध्यापक	वार्ड पंच / पार्षद	सामाजिक कार्यकर्त्ता	अन्य पेंशन प्राप्तकर्त्ता
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**जयपुर**								
	शहरी	46	1	1	2	1	10	–	31
	ग्रामीण	32	10	7	1	3	8	–	4
	योग	**78**	**11**	**8**	**3**	**4**	**18**	**–**	**35**
2.	**उदयपुर**								
	शहरी	39	–	–	–	2	29	–	8
	ग्रामीण	53	30	40	3	2	5	–	1
	योग	**92**	**30**	**40**	**3**	**4**	**34**	**–**	**9**
3.	**अजमेर**								
	शहरी	30	–	1	1	–	2	15	14
	ग्रामीण	30	13	12	–	–	19	–	–
	योग	**60**	**13**	**13**	**1**	**–**	**21**	**15**	**14**
4.	**महायोग**								
	शहरी	115	1	2	3	3	41	15	53
	ग्रामीण	115	53	59	4	5	32	–	5
	कुलयोग	**230**	**54**	**61**	**7**	**8**	**73**	**15**	**58**
	प्रतिशत		**23.48**	**26.52**	**3.04**	**3.48**	**31.74**	**6.52**	**25.22**

3.10.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को पेंशन की जानकारी एक से अधिक स्त्रोतों से हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में पेंशन की जानकारी देने वालों में सरपंच, वार्ड पंच व ग्रामसेवक प्रमुख थे तो शहरी क्षेत्र में पेंशन की जानकारी का प्रमुख स्त्रोत वार्ड मेम्बर/पार्षद थे। शहरी क्षेत्र के विकलांगों को अन्य पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं से भी जानकारी प्राप्त हुई थी। अजमेर जिले के शहरी क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा भी जानकारी प्राप्त हुई। संक्षेप में पेंशन की जानकारी का प्रमुख स्त्रोत/माध्यम जनता के प्रतिनिधि रहे हैं।

3.11 पेंशन आवेदन करवाने में सहयोग :

3.11.1 पेंशन हेतु आवेदन करने में चयनित लाभार्थियों द्वारा जिन पदाधिकारियों द्वारा सहयोग किया गया, उसका विवरण निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या–24
पेंशन आवेदन हेतु सहयोग

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	ग्राम सेवक	सरपंच	पटवारी	अध्यापक	वार्ड पंच/पार्षद	सामाजिक कार्यकर्त्ता	अन्य पेंशन प्राप्तकर्त्ता
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**जयपुर**								
	शहरी	46	1	–	2	1	13	–	28
	ग्रामीण	32	7	9	1	2	10	–	3
	योग	**78**	**8**	**9**	**3**	**3**	**23**	**–**	**31**
2.	**उदयपुर**								
	शहरी	39	1	–	–	1	30	–	7
	ग्रामीण	53	30	21	18	9	2	–	1
	योग	**92**	**31**	**21**	**18**	**10**	**32**	**–**	**8**
3.	**अजमेर**								
	शहरी	30	–	–	10	–	–	15	12
	ग्रामीण	30	16	9	15	–	22	–	–
	योग	**60**	**16**	**9**	**25**	**–**	**22**	**15**	**12**
4.	**महायोग**								
	शहरी	115	2	–	12	2	43	15	47
	ग्रामीण	115	53	39	34	11	34	–	4
	कुलयोग	**230**	**55**	**39**	**46**	**13**	**77**	**15**	**51**
	प्रतिशत		**23.91**	**16.96**	**20.00**	**5.65**	**33.48**	**6.52**	**22.17**

3.11.2 उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि जिन पदाधिकारियों द्वारा विकलांगों को पेंशन की जानकारी दी गयी सामान्यतया उन्हीं के द्वारा पेंशन का आवेदन पत्र भरवाने व सम्बन्धित तक पहँचानें की कार्यवाही की गयी। आवेदन पत्र भरवाने में शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक विकलांगों को पार्षद/वार्ड मेम्बर एवं अन्य पेंशन प्राप्तकर्ताओं द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकलांगों को सरपंच, ग्रामसेवक एवं पटवारी द्वारा सहयोग किया गया। आवेदन पत्र भरवाने में 51(22.17 प्रतिशत) अन्य पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं का भी सराहनीय योगदान रहा। 59 विकलांगों को पटवारी/अध्यापकों द्वारा भी सहयोग किया गया। अजमेर जिले के शहरी क्षेत्र में 30 में से 15 विकलांगों को सामाजिक कार्यकर्त्ता द्वारा सहयोग किया गया। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पेंशन की जानकारी देने, आवेदन पत्र भरवाने में सामान्यतया गैर–सरकारी/जन–प्रतिनिधियों का अधिक योगदान रहा है।

3.12 पेंशन स्वीकृति में लगने वाला समय :

3.12.1 गरीब एवं असहाय विकलांगों के पेंशन हेतु आवेदन से लेकर पेंशन स्वीकृति तक लगने वाला समय निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या–25
पेंशन स्वीकृति में समय

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	आवेदन के कितने समय बाद पेंशन स्वीकृत हुई (माह में)				
			1 माह	1–2 माह	2–4 माह	4–6 माह	6 माह से ज्यादा
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	**जयपुर**						
	शहरी	46	–	3	35	2	6
	ग्रामीण	32	2	6	17	6	1
	योग	**78**	**2**	**9**	**52**	**8**	**7**
2.	**उदयपुर**						
	शहरी	39	8	5	22	–	4
	ग्रामीण	53	27	5	15	6	–
	योग	**92**	**35**	**10**	**37**	**6**	**4**
3.	**अजमेर**						
	शहरी	30	1	8	20	–	1
	ग्रामीण	30	6	14	4	3	3
	योग	**60**	**7**	**22**	**24**	**3**	**4**
4.	**महायोग**						
	शहरी	115	9	16	77	2	11
	ग्रामीण	115	35	25	36	15	4
	कुलयोग	**230**	**44**	**41**	**113**	**17**	**15**
	प्रतिशत		**19.13**	**17.83**	**49.13**	**7.39**	**6.52**

3.12.2 उपर्युक्त सारिणी का विश्लेषण यह दर्शाता है कि आधे के लगभग 113 (49.13 प्रतिशत) प्रतिशत विकलांगों को 2 से 4 माह के भीतर पेंशन स्वीकृत हो गयी। 44 (19.13 प्रतिशत) प्रतिशत को एक माह के अन्दर एवं 41(17.83 प्रतिशत) को 1 से 2 माह में पेंशन स्वीकृत हो गयी, लेकिन लगभग 32(13.91 प्रतिशत) प्रतिशत लाभार्थी ऐसे थे जिनके पेंशन स्वीकृति में 4 माह से भी अधिक समय लगा। अतः इस ओर विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। विभाग द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए कि आवेदन के एक माह में पेंशन स्वीकृत हो जाये। यह आवश्यक नहीं कि पेंशन स्वीकृति में विलम्ब का प्रमुख कारण विभागीय प्रक्रिया ही हो, कई बार पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर व सही अवस्था में उपलब्ध न कराये जाने के कारण भी पेंशन स्वीकृति में विलम्ब हो जाता है। अतः विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि आवेदन पत्र में जो भी कमियाँ हो उनको एक साथ आवेदनकर्त्ता को समझाया जाये तथा पेंशन की प्रक्रिया को सुगम व गतिशील बनाया जाये ताकि असहाय विकलांगों को शीघ्रतिशीघ्र पेंशन प्राप्त हो सके।

3.13 पेंशन की राशि :

3.13.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पूर्व में विकलांगों को 200/– रुपये मासिक पेंशन दी जा रही थी बाद में उन्हें इस राशि के साथ 10 किलो गेहूँ भी दिया जाने लगा। नियमित रूप से गेहूँ प्राप्त न होने की स्थिति में विकलांगों को 200/– रुपये पेंशन के साथ गेहूँ के 50/– रुपये अर्थात् कुल 250/– रुपये की

पेंशन दी जाने लगी। दिनांक 1–4–2006 से 65 वर्ष की आयु से अधिक आयु के विकलांगों की पेंशन राशि 400/– रुपये कर दी गयी है तथा दिनांक 21–4–2007 के आदेश के अनुसार विकलांग पेंशन रुपये 250/– प्रतिमाह (मय रुपये 50/– गेहूँ के बदले शामिल करते हुए) के स्थान पर 400/– रुपये प्रतिमाह दिनांक 1–4–2007 से की गयी। अतः यह जानना आवश्यक समझा गया कि विकलांगों को वर्तमान में कितनी राशि मिल रही है। पेंशन राशि का जिलेवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या–26
पेंशन राशि

(संख्या)

क्र.सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	पेंशन राशि (रुपये में)				
			पूर्व में		सर्वे दिनांक को		
			250/–	300/–	250/–	300/–	400/–
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	**जयपुर**						
	शहरी	46	46	–	46	–	–
	ग्रामीण	32	32	–	30	–	2
	योग	**78**	**78**	**–**	**76**	**–**	**2**
2.	**उदयपुर**						
	शहरी	39	37	2	37	2	–
	ग्रामीण	53	53	–	49	–	4
	योग	**92**	**90**	**2**	**86**	**2**	**4**
3.	**अजमेर**						
	शहरी	30	30	–	30	–	–
	ग्रामीण	30	30	–	30	–	–
	योग	**60**	**60**	**–**	**60**	**–**	**–**
4.	**महायोग**						
	शहरी	115	113	2	113	2	–
	ग्रामीण	115	115	–	109	–	6
	कुलयोग	**230**	**228**	**2**	**222**	**2**	**6**
	प्रतिशत		**99.13**	**0.87**	**96.52**	**0.87**	**2.61**

3.13.2 उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वे दिनांक को 222 (96.52 प्रतिशत) विकलांग लाभार्थियों ने 250/– रुपये प्रतिमाह, 6 (2.61 प्रतिशत) विकलांग लाभार्थी जो 65 वर्ष से अधिक आयु के थे उनको 400/– रुपये प्रतिमाह एवं शेष 2 (0.87 प्रतिशत) लाभार्थी जो संयुक्त पेंशन प्राप्त कर रहे थे वे 300/– रुपये प्राप्त कर रहे थे, जबकि दिनांक 1–4–2006 से पूर्व 228 (99.13 प्रतिशत) लाभार्थी 250/– रुपये एवं 2 (0.87 प्रतिशत) संयुक्त पेंशन के लाभार्थी 300/– रुपये प्रतिमाह प्राप्त कर रहे थे। क्षेत्रीय कार्य के दौरान विकलांग लाभार्थियों द्वारा 65 वर्ष से ज्यादा की आयु के पेंशनधारियों की राशि के बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में यथासमय जानकारी नहीं होना एवं राशन कार्ड/ पहचान पत्र में सही आयु का इन्द्राज नहीं होने के कारण आयु प्रमाण बनाने में काफी परेशानी होना अवगत कराया गया, क्योंकि दिनांक 6–9–2006 के आदेशों में 65 वर्ष से अधिक आयु के विकलांगों को 400/– रुपये दिये जाने के

आदेश जारी किये गये थे। कुछ लाभार्थियों द्वारा आयु सम्बन्धी सुधार करवाया जाना भी पाया गया। अधिकांश लाभार्थियों को पेंशन राशि कब बढ़ी एवं कब से मिल रही है इत्यादि की जानकारी नहीं थी, उनका सुझाव था कि लाभार्थियों को पेंशन राशि बढ़ोत्तरी सम्बन्धी यथासमय जानकारी दी जानी चाहिए तथा राशन कार्ड/ पहचान पत्रों के बनाते समय आयु सही दर्ज की जानी चाहिये जिससे परेशानी नहीं उठानी पड़े। दिनांक 1–4–2007 से सभी विकलांगों की पेंशन राशि 400/– रुपये किये जाने के कारण आयु सम्बन्धी परेशानी नहीं रहेगी।

3.14 पेंशन का माध्यम :

3.14.1 पेंशन कोष कार्यालय से नकद प्राप्त की जा सकती है अथवा मनीआर्डर द्वारा प्रार्थी को भिजवा दी जाती है। वर्तमान में बैंक/डाकघर खाते में भी पेंशन जमा कराने का प्रावधान किया गया है। चयनित लाभार्थियों द्वारा पेंशन प्राप्त करने का स्त्रोत निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या–27

पेंशन प्राप्ति का माध्यम

(संख्या)

क्र.सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	नकद कोषालय से	बैंक/डाकघर खाते में जमा	मनीआर्डर द्वारा नकद
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**जयपुर**				
	शहरी	46	34	2	10
	ग्रामीण	32	7	2	23
	योग	**78**	**41**	**4**	**33**
2.	**उदयपुर**				
	शहरी	39	14	–	25
	ग्रामीण	53	1	–	52
	योग	**92**	**15**	**–**	**77**
3.	**अजमेर**				
	शहरी	30	–	–	30
	ग्रामीण	30	–	–	30
	योग	**60**	**–**	**–**	**60**
4.	**महायोग**				
	शहरी	115	48	2	65
	ग्रामीण	115	8	2	105
	कुलयोग	**230**	**56**	**4**	**170**
	प्रतिशत		**24.35**	**1.74**	**73.91**

3.14.2 उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि पेंशन प्राप्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम मनीआर्डर है, अधिकांश विकलांग असहाय होने के कारण मनीआर्डर को ही सबसे उत्तम माध्यम मानते हैं। मनीआर्डर पोस्टमैन द्वारा स्वयं विकलांग को दिया जाकर हस्ताक्षर लिए जाते हैं इससे पेंशन की राशि सीधी विकलांग को प्राप्त होती है। बैंक एवं पेंशन घर से पेंशन प्राप्त करने में समय की बरबादी भी होती है तथा आने–जाने में

आर्थिक भार भी पड़ता हैं एवं किसी नजदीकी रिश्तेदार से उसके साथ कोष कार्यालय/बैंक जाने की मिन्नतें भी करनी पड़ती है। जिलेवार विवरण यह दर्शाता है कि अजमेर जिले में शत–प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा मनीआर्डर में ही पेंशन प्राप्त की जा रही थी। कुल चयनित 230 लाभार्थियों में से 170 (73.91 प्रतिशत) को मनीआर्डर से पेंशन प्राप्त हो रही थी। ज्यादातर उत्तरदाताओं का सुझाव था कि पेंशन भुगतान की व्यवस्था मनीआर्डर के माध्यम से ही होनी चाहिए।

3.14.3 पेंशन प्राप्ति का दूसरा लोकप्रिय माध्यम स्वयं कोषालय जाकर पेंशन प्राप्त करना है। जिन विकलांगों को पेंशन शीघ्र प्राप्त करनी होती है तथा जिनके कोषालय उनके गाँव/घर से अधिक दूरी पर नहीं होते अथवा आवागमन के साधन उपलब्ध होते हैं उन विकलांगों द्वारा कोष कार्यालय जाकर पेंशन प्राप्त की जाती है। प्रत्येक कोष कार्यालय में माह के निश्चित दिवसों के मध्य पेंशन वितरित की जाती है। किसी भी कोषालय के बाहर उन निश्चित दिनांकों को काफी संख्या में पेंशनर्स देखे जा सकते हैं। चयनित 230 विकलांगों में से 56 (24.35 प्रतिशत) विकलांग कोष कार्यालय जाकर नकद राशि प्राप्त कर रहे थे। कोष कार्यालय जाने वाले विकलांगों में अधिकांशतया शहरी विकलांग थे।

3.15 पेंशन की नियमितता :

3.15.1 पेंशन की राशि विकलांगों के लिए एक मुख्य आर्थिक सहायता होने के कारण इसकी निरन्तरता एवं नियमितता अहम स्थान रखती है। पेंशन राशि प्रतिमाह प्राप्त होने के सम्बन्ध में चयनित लाभार्थियों द्वारा दिए गये प्रत्युत्तर निम्न तालिका में संकलित किये गये हैं :–

सारिणी संख्या–28

पेंशन की नियमितता (प्रतिमाह) (संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	हाँ	नहीं	यदि नहीं तो कितने अन्तराल में (माह में)		
					प्रत्येक 2 माह पर	2 माह बाद	3 माह बाद
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	**जयपुर**						
	शहरी	46	44	2	2	–	–
	ग्रामीण	32	26	6	2	4	–
	योग	**78**	**70**	**8**	**4**	**4**	**–**
2.	**उदयपुर**						
	शहरी	39	–	39	32	5	2
	ग्रामीण	53	–	53	49	4	–
	योग	**92**	**–**	**92**	**81**	**9**	**2**
3.	**अजमेर**						
	शहरी	30	28	2	1	1	–
	ग्रामीण	30	17	13	13	–	–
	योग	**60**	**45**	**15**	**14**	**1**	**–**
4.	**महायोग**						
	शहरी	115	72	43	35	6	2
	ग्रामीण	115	43	72	64	8	–
	कुलयोग	**230**	**115**	**115**	**99**	**14**	**2**
	प्रतिशत		**50.00**	**50.00**	**86.09**	**12.17**	**1.74**

3.15.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि चयनित 230 विकलांगों में से 115 (50.00 प्रतिशत) के अनुसार उन्हें नियमित रूप से प्रतिमाह पेंशन प्राप्त हो रही थी, लेकिन शेष 115 (50.00 प्रतिशत) के अनुसार पेंशन प्रतिमाह या नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रही थी, इनमें से ज्यादातर 99 (86.09 प्रतिशत) को हर दूसरे माह एवं शेष 16 (13.91 प्रतिशत) विकलांगों द्वारा 2 माह से ज्यादा समय में पेंशन प्राप्त की जा रही थी। इस सम्बन्ध में कोष कार्यालय एवं डाक विभाग से सम्पर्क करने पर पाया गया कि कई बार विकलांगों के ग्राम से बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाने से अथवा मजदूरी पर चले जाने से वे कोष कार्यालय नहीं आ पाती हैं अथवा डाकिया 2–3 बार जाकर वापस आ जाता है। सामान्यतया पोस्टमैन विकलांगों को जानता है और ग्राम वाले भी उनको पेंशन हेतु बता देते हैं अतः पेंशन का नियमित वितरण हो जाता है। डाकघर में स्टाफ की कमी के कारण तथा विस्तृत क्षेत्र के कारण कुछ स्थानों पर मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन प्रतिमाह वितरित न की जाकर प्रत्येक दो माह में एक बार वितरित किये जाने की व्यवस्था कर रखी है।

3.16 सर्वे दिनांक को बकाया पेंशन की स्थिति :

3.16.1 सर्वे दिनांक को चयनित 230 विकलांगों की बकाया पेंशन का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी संख्या–29
बकाया पेंशन का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	सर्वे दिनांक तक पेंशन कितने माह की बकाया है				
			Nil	1 माह	2 माह	3 माह	4 माह एवं अधिक
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	**जयपुर**						
	शहरी	46	46	–	–	–	–
	ग्रामीण	32	27	–	3	1	1
	योग	**78**	**73**	**–**	**3**	**1**	**1**
2.	**उदयपुर**						
	शहरी	39	15	–	–	17	7
	ग्रामीण	53	8	–	37	–	8
	योग	**92**	**23**	**–**	**37**	**17**	**15**
3.	**अजमेर**						
	शहरी	30	29	–	–	–	1
	ग्रामीण	30	17	3	9	–	1
	योग	**60**	**46**	**3**	**9**	**–**	**2**
4.	**महायोग**						
	शहरी	115	90	–	–	17	8
	ग्रामीण	115	52	3	49	1	10
	कुलयोग	**230**	**142**	**3**	**49**	**18**	**18**
	प्रतिशत		**61.74**	**1.30**	**21.30**	**7.83**	**7.83**

3.16.2 उपर्युक्त सारिणी से ज्ञात होता है कि 142 (61.74 प्रतिशत) विकलांगों को सर्वे दिनांक तक चालू माह तक की पेंशन प्राप्त हो चुकी थी और कोई पेंशन बकाया नहीं नहीं थी, शेष 88(38.26 प्रतिशत) विकलांगों को प्रतिमाह भुगतान नहीं हुआ था जिन में से 3(1.30 प्रतिशत) विकलांगों की 1 माह की, 49 (21.30 प्रतिशत) विकलांगों की 2 माह की, 18 (7.83 प्रतिशत) विकलांगों की 3 माह की एवं शेष 18 (7.83 प्रतिशत) विकलांगों की 4 माह या इससे भी अधिक समय की पेंशन बकाया थी। सर्वाधिक बकाया पेंशन उदयपुर जिले में पायी गयी। बकाया पेंशन के 88 विकलांग लाभार्थियों में 25 शहरी क्षेत्र एवं 63 लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र के थे। ग्रामीण क्षेत्र में मनीआर्डर द्वारा दो माह से पेंशन भुगतान की व्यवस्था के कारण ज्यादा लाभार्थियों की पेंशन बकाया है। बकाया पेंशन के निम्न कारण दिये गये :–

क्र.सं.	कारण	संख्या	प्रतिशत
1.	मनीआर्डर द्वारा हर माह दो माह से पेंशन प्राप्त होती है।	41	46.59
2.	कोष कार्यालय में पेंशन लेने नहीं गये या घर पर नहीं रहने के कारण मनीआर्डर वापिस चला गया।	29	32.96
3.	अभी मनीआर्डर नहीं आया।	13	14.77
4.	तहसील से पेंशन देरी से आती है।	5	5.68
	योग	**88**	**100.0**

3.16.3 उपर्युक्त कारणों से ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में पेंशन डाकघर के माध्यम से मनीआर्डर द्वारा दो माह की भिजवायी जाती है जिसके कारण पेंशन प्रतिमाह नहीं मिलकर दो माह में मिलती है एवं कई बार पेंशनर कोषालय से नगद राशि प्राप्त करने नहीं जाते हैं एवं पेंशनर के निवास से बाहर चले जाने के कारण मनीआर्डर वापिस भिजवा दिये जाते हैं।

3.16.4 चयनित लाभार्थियों से बकाया पेंशन राशि की जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि ज्यादातर पेंशनर्स को पेंशन बढ़ने, पेंशन बढ़ने की तिथि एवं बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही की जानकारी नहीं होती है। पेंशनर्स को जन–प्रतिनिधियों यथा सरपंच/पार्षद/वार्ड पंच/अन्य जागरूक ग्रामवासियों से ही मिलती है। जिन क्षेत्रों में जन–प्रतिनिधि सक्रिय रहते हैं या तो उनके सहयोग या निकटतम रिश्तेदार के सहयोग से तहसील/कोषालय स्तर पर कार्यवाही करने पर ही पेंशन प्राप्त होती है। जीवित प्रमाण–पत्र/आयु सम्बन्धी दस्तावेज/प्रमाण–पत्र देने हेतु दूसरे व्यक्तियों का सहयोग लेना पड़ता है जिससे समय की बर्बादी एवं आने–जाने में काफी व्यय हो जाता है। उनका सुझाव था कि पेंशन बढ़ोत्तरी इत्यादि की जानकारी देने एवं जीवित प्रमाण–पत्र इत्यादि दस्तावेजों की पूर्ति करवाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या पटवारी की होनी चाहिए जिससे नियमित रूप से यथासमय पेंशन राशि प्राप्त हो सके।

3.17 पेंशन राशि का उपयोग :

3.17.1 चयनित 230 विकलांगों द्वारा प्राप्त पेंशन राशि का उपयोग अधिकांशतया निम्न मदों पर किया जा रहा है :–

क्र.सं.	पेंशन राशि का उपयोग	संख्या
1.	अन्न खरीदने हेतु	103
2.	दवाईयाँ खरीदने हेतु	41
3.	घरेलु खर्च में	210
4.	ऋण चुकाने पर	1
5.	अन्य	11

3.17.2 गरीब होने के कारण चयनित विकलांगों द्वारा ज्यादातर राशि का उपयोग जीवन निर्वाह करने हेतु यथा– अन्न खरीदने अथवा घर की ही छोटी–मोटी वस्तुओं के खरीदने में किया जाता है। 41 विकलांग पेंशन की राशि का उपयोग दवाईयाँ खरीदने में भी कर रहे थे।

3.18 पेंशन राशि की पर्याप्तता :

3.18.1 चयनित 230 विकलांगों में से 15 विकलांगों की राय में पेंशन राशि पर्याप्त थी, जबकि शेष 215 विकलांगों की राय में पेंशन राशि पर्याप्त नहीं थी उन्हें अतिरिक्त राशि की अन्यत्र स्थान से व्यवस्था करनी पड़ती थी। 58 लाभार्थी स्वयं की बचत को काम में ले रहे थे, 131 लाभार्थी अन्य परिजनों से उधार लेकर कार्य कर रहे थे एवं 55 लाभार्थी किसी न किसी प्रकार की मजदूरी कर अपना काम चला रहे थे। चयनित 230 लाभार्थियों में से 22 के अनुसार 400 रुपये पेंशन पर्याप्त है जबकि शेष 208 लाभार्थियों की राय में पेंशन राशि 400 से 1000 के मध्य होनी चाहिये। चयनित सभी 230 लाभार्थियों में से केवल 7 लाभार्थियों द्वारा पेंशन राशि से बचत भी की जा रही थी, जबकि शेष के अनुसार पेंशन की सभी राशि खर्च हो जाती है। वर्ष 2007–08 के बजट भाषण में सभी विकलांगों की पेंशन 400/– रुपये कर दी गयी है, अतः सम्भवतया सब विधवाओं को उधार/माँग कर खाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ग्रामीण विकलांगों के लिए यह राशि सन्तोषजनक कही जा सकती है।

3.19 पेंशन राशि का जीवन स्तर पर प्रभाव :

3.19.1 यद्यपि सरकार द्वारा प्रदत्त राशि इतनी अधिक नहीं कि इससे जीवन स्तर में अधिक सुधार हो लेकिन फिर भी इस राशि से गरीब विकलांगों के जीवन स्तर पर निम्न प्रभाव दृष्टिगोचर हुए हैं :–

क्र.सं.	प्रभाव	लाभार्थियों की संख्या
1.	परिवार में सम्मान बढ़ा।	57
2.	निकटतम रिश्तेदारों की मदद की बजाय पेंशन राशि से गुजारा होने लग गया।	102
3.	गाँव वालों की मदद के बजाय जीवन निर्वाह होने लग गया।	8
4.	आत्म निर्भर हो गये।	50
5.	आर्थिक कठिनाई कम हो गयी।	4

3.19.2 संक्षेप में विकलांगों को पेंशन मिलने से अब निकटतम रिश्तेदार/ग्रामवासियों की आर्थिक मदद की ज्यादा आवश्यकता नहीं रही एवं वे स्वंय सम्मान जनक जीवन निर्वाह करने लगे हैं। वर्तमान में वर्ष 2007–08 से सभी विकलांगों को 400/– रुपये उपलब्ध करवाये जा रहे है जिससे अपना गुजारा करने में काफी राहत मिली है।

3.20 परिवार के अन्य सदस्यों को पेंशन एवं लाभार्थियों को अन्य योजना में लाभ :

3.20.1 चयनित 230 विकलांगों के परिवार में से 36 परिवारों के अन्य सदस्यों को भी किसी न किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त हो रही थी। चयनित विकलांगों से इनका रिश्ता माता, पिता, भाई, पति एवं पत्नी आदि था।

3.21 पेंशन प्राप्त करने में कठिनाईयाँ एवं सुझाव :

3.21.1 चयनित 230 विकलांगों में से 186 (80.87 प्रतिशत) विकलांगों को पेंशन हेतु आवेदन करने, पेंशन स्वीकृत होने एवं पेंशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई, केवल 44 (19.13 प्रतिशत) विकलांगों को किसी न किसी प्रकार की कठिनाई हुई। जिन 44 लाभार्थियों ने किसी न किसी प्रकार की कठिनाई बतायी उनमें से 11 लाभार्थियों ने आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी, 16 लाभार्थियों ने पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी एवं 35 लाभार्थियों ने पेंशन भुगतान प्राप्त करने सम्बन्धी कठिनाईयाँ बतायी। 11 विकलांगों को अशिक्षित होने के कारण एवं योजना की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण फार्म भरने में कठिनाई आयी तथा विकलांग प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में कठिनाई आयी,

जबकि कई विकलांगों के आवेदन–पत्र में रही किसी न किसी कमी के कारण फार्म ही दुबारा भरना पड़ा और फोटो भी दुबारा लगानी पड़ी। 16 विकलांग लाभार्थियों ने पेंशन स्वीकृति में मुख्य कठिनाईयाँ यथा– पंचायत समिति/तहसील एवं मेडिकल बोर्ड में बार–बार चक्कर लगाना, स्वीकृति में ज्यादा समय लगना, स्वीकृति का आदेश नहीं मिलना इत्यादि बताये। 35 लाभार्थियों ने पेंशन भुगतान सम्बन्धी मुख्य कठिनाईयाँ यथा– मनीआर्डर से पेंशन दो–दो माह में मिलना, कोष कार्यालय कर्मियों का व्यवहार सही नहीं होना, अन्धे एवं अपाहिज होने के कारण तहसील स्तर पर जाने में परेशानी, राशि का समय पर नहीं मिलना इत्यादि बताये।

3.21.2 चयनित विकलांगों को मुख्यतः पेंशन नियमों की जानकारी नहीं होने, विकलांग प्रमाण–पत्र मेडिकल बोर्ड से बनवाने, स्वीकृति एवं भुगतान आदेश की जानकारी नहीं होने एवं कई बार पेंशन समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण पंचायत समिति, तहसील एवं मेडिकल बोर्ड में कई चक्कर लगाने इत्यादि कठिनाईयों का सामना करना रहा हैं। चयनित विकलांगों द्वारा कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्न सुझाव दिये गये :–

क्र.सं.	विकलांगों द्वारा दिये गये सुझाव
1.	योजना का प्रचार–प्रसार कर सम्पूर्ण जानकारी ग्राम/वार्ड स्तर पर पात्र व्यक्तियों को दी जावें।
2.	योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों का चयन ग्राम सभा द्वारा करवाकर आवेदन–पत्र भी ग्राम सभा/शिविर में ही भरवाने की व्यवस्था की जावें।
3.	आवेदन पत्र भरवाने की पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी जावें।
4.	ग्राम पंचायत/क्षेत्र के पेंशनधारियों की पेंशन का भुगतान यथासमय एवं सुविधाजनक करने हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से ही करवाया जावें।
5.	विकलांग प्रमाण–पत्र मेडिकल बोर्ड के बजाय स्थानीय राजकीय चिकित्सा का मान्य किया जावें।
6.	पेंशन राशि का भुगतान मनीआर्डर द्वारा दो माह के बजाय प्रतिमाह किया जाना चाहिये।
7.	पेंशनर्स को 10 किलो गेहूँ ही दिया जावें या बाजार मूल्य दर के अनुसार राशि दी जावें।
8.	पेंशन स्वीकृति एवं पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की प्रति पेंशनर्स को रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही भिजवाये जावें।
9.	पेंशन स्वीकृति में कम समय लगाया जावें।

10. विकलांगों को रिक्शा साईकिल दी जावें।
11. विकलांगों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जावें।
12. विकलांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलवाकर वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जावें।
13. विकलांगों को पेंशन के अलावा उनके आवास सुविधा के साथ–साथ उनके बच्चों की पढ़ाई एवं बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था की जावें।
14. विकलांग बच्चों को पेंशन के अलावा छात्रवृत्ति भी दी जावें।
15. विकलांगों को बी.पी.एल. की श्रेणी में लिया जावें जिससे सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध हो सके।
16. विकलांगों के बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवायी जावें।
17. योजना में लाभार्थी की पात्रता में परिवार के कमाऊ सदस्य की आयु में शिथिलता दी जाकर 25 वर्ष की जावें।

3.22 सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों के विचार :

3.22.1 पेंशन कार्यक्रम से जुड़े सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों यथा– योजना के प्रभारी कार्यकारी/अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम सेवक, उपखण्ड़ अधिकारी, कोषाधिकारी/सहायक पेंशन अधिकारी, सरपंच, विकास अधिकारी, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, वार्ड पंच/पार्षद से भी कार्यक्रम क्रियान्विति, कठिनाईयाँ एवं सुझाव जानने हेतु सम्पर्क किया गया। कुल 55 सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों से अनुसूची भरी गयी जिसमें 35 अधिकारी व 20 गैर–अधिकारी थे। जिलेवार अधिकारी/गैर–अधिकारियों की संख्या निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारिणी संख्या–30

जिलेवार अधिकारी/गैर–अधिकारियों की संख्या

क्र. सं.	जिला	अधिकारी/ गैर–अधिकारी	संख्या	शैक्षणिक योग्यता				
				साक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	स्नातक	स्नातकोत्तर
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	जयपुर	अधिकारी	6	–	–	2	3	1
		गैर–अधिकारी	3	–	2	1	–	–
2.	उदयपुर	अधिकारी	21	–	–	–	12	9
		गैर–अधिकारी	16	6	–	7	–	3
3.	अजमेर	अधिकारी	8	–	–	–	7	1
		गैर–अधिकारी	1	–	–	1	–	–
	योग	**अधिकारी**	**35**	**–**	**–**	**2**	**22**	**11**
		गैर–अधिकारी	**20**	**6**	**2**	**9**	**–**	**3**
	कुल योग		**55**	**6**	**2**	**11**	**22**	**14**
	प्रतिशत			**10.9**	**3.6**	**20.0**	**40.0**	**25.5**

3.22.2 उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि गैर–अधिकारियों की तुलना में सरकारी अधिकारी अधिक शिक्षित थे। स्नातक में दर्शाये गये 22 अधिकारियों में 9 अधिकारी इन्जीनियर थे। उदयपुर जिले में 6 गैर–अधिकारी केवल साक्षर पाए गये। सभी अधिकारियों/गैर–अधिकारियों को अपने क्षेत्र में चल रही सभी पेंशन योजनाओं की जानकारी थी तथा उनके अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को भी इस बात की जानकारी थी कि विकलांगों को सरकार की ओर से पेंशन राशि स्वीकृत की जाती है। उनके अनुसार समय–समय पर आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा/वार्ड सभा में पेंशन योजनाओं की जानकारी दी जाती है, इसके अलावा प्रचार–प्रसार द्वारा, शिविर लगाकर, अभियान द्वारा, समाचार–पत्रों के विज्ञापन द्वारा पेंशन योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है। उप–खण्ड़ अधिकारी, विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच व अन्य जन–प्रतिनिधियों व कर्मचारियों द्वारा भी इस सम्बन्ध में नियमित रूप से जानकारी प्रदान की जाती है। अन्य पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं का भी योजना की जानकारी देने में सराहनीय योगदान रहा है। संक्षेप में समाज के प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को इसकी जानकारी है और उसके द्वारा पात्र व्यक्ति को जानकारी प्रदान की जाती है।

3.22.3 समस्त चयनित सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों को इस बात की पूर्ण जानकारी थी कि विकलांग पेंशन के लिए पात्रता क्या है व कितनी पेंशन प्राप्त होती है। समस्त अधिकारियों/गैर–अधिकारियों की राय में उनके क्षेत्र की जिन विकलांगों को पेंशन प्राप्त हो रही थी वे सभी लाभार्थी पात्र थे।

3.23 आवेदन एवं स्वीकृति के सम्बन्ध में :

3.23.1 सभी चयनित 55 सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों की राय में पेंशन फार्म आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। 44 (80 प्रतिशत) अधिकारियों की राय में पेंशन 1 माह की अवधि में, 3 के अनुसार 2 से 3 माह की अवधि में एवं 4 के अनुसार 3 से 4 माह की अवधि में पेंशन स्वीकृत हो जाती है। अधिकांश अधिकारियों की राय में पेंशन 1 माह की अवधि में स्वीकृत हो जाती है, जबकि गैर–अधिकारियों की राय में इसमें 1 से 2 माह का समय लगता हैं। 39 अधिकारियों/गैर–अधिकारियों की राय में पेंशन का वितरण 1 माह में, 22 के अनुसार 1 से 2 माह में, 8 के अनुसार 2 से 3 माह का समय व 4 के अनुसार 3 से 4 माह तक का समय लग जाता हैं। यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि लगभग यही राय चयनित लाभार्थियों की थी। संक्षेप में साधारण परिस्थितियों में आवेदन के 2 माह पश्चात् पेंशन मिलना प्रारम्भ हो जाती हैं।

3.24 पेंशन राशि के सम्बन्ध में :

3.24.1 पेंशन राशि के सम्बन्ध में गैर–अधिकारियों को नवीनतम पूर्ण जानकारी नहीं थी यही कारण है चयनित 26 के अनुसार 200/– रुपये प्रतिमाह, 14 के अनुसार 250/– रुपये, 4 के अनुसार 300/– रुपये एवं 30 के अनुसार प्रतिमाह 400/– रुपये पेंशन मिल रही थी, कई कार्यकारियों को आयुवार/दम्पत्तिवार प्रदान की जाने वाली राशि ज्ञात नहीं थी। यदि कार्यकारियों/गैर–अधिकारियों को ही नवीनतम पूर्ण जानकारी नहीं है तो उनके द्वारा क्षेत्र की आम जनता को भी पुरानी सूचना ही उपलब्ध करायी जाएगी। अतः विभाग द्वारा पेंशन राशि में परिवर्तन की सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

3.24.2 चयनित 55 अधिकारियों/गैर–अधिकारियों में 15 के अनुसार पेंशन की राशि सन्तोषप्रद थी जबकि 40 की राय में इसमें वृद्धि अपेक्षित है, 23 की राय में यह राशि 500/– रुपये, 3 की राय में 600/– रुपये एवं 14 की राय में 1000/– रुपये होनी चाहिए। 55 में से 42 की राय में पेंशन राशि लाभार्थी को समय पर प्राप्त हो जाती है जबकि 13 की राय में राशि विलम्ब से प्राप्त होती है।

3.24.3 चयनित अधिकारियों/गैर–अधिकारियों की राय में विकलांगों द्वारा कोष कार्यालय जाकर अथवा मनी–आर्डर द्वारा पेंशन प्राप्त की जा रही थी और इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं थी। उनके अनुसार भी मनी–आर्डर से पेंशन प्राप्त करना अधिक लोकप्रिय हैं।

3.25 योजना के संचालन में अनुभूत कठिनाईयाँ एवं प्रभावी सुझाव :

3.25.1 अधिकारी एवं गैर–अधिकारियों में योजना की जानकारी, आवेदन–पत्र, पेंशन स्वीकृति, पेंशन भुगतान व्यवस्था में आ रही कठिनाईयों एवं उनके निवारण हेतु प्रभावी सुझाव दिये गये कि ग्राम पंचायत स्तर/वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित कर पात्र व्यक्तियों का चयन किया जावें तथा आवेदन–पत्र की सम्पूर्ण पूर्ति करवाकर शिविर में ही पात्र आवेदकों की स्वीकृति की जावें। इस हेतु योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारी यथा विकास अधिकारी, तहसीलदार, चिकित्सा अधिकारी इत्यादि उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया जाना चाहिये। विकलांग आवेदक के 20 वर्ष का पुत्र होते ही उसकी पेंशन स्वतः बन्द हो जाती है, जबकि 20 वर्ष की आयु में न तो पढ़ाई ही पूर्ण हो पाती है और न ही किसी प्रकार का रोजगार मिल पाता है। अतः आयु में शिथिलता दी जाकर सन्तान की आयु 25 वर्ष की जानी चाहिये, विकलांगों को आर्थिक सहायता दी जाकर स्वरोजगार प्रदान कर स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

————

अध्याय चतुर्थ

कठिनाईयाँ एवं सुझाव

4.1 समाज के असहाय वर्ग यथा वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, विकलांग एवं निःशक्तजन की देखभाल, सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवनयापन करने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाएँ प्रारम्भ की गई। राजस्थान में अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों को पेंशन नियम,1965 के अन्तर्गत उपलब्ध करवायी जा रही है। बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर पेंशन राशि में भी वृद्धि की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विकलांगों को दी जाने वाली पेंशन की राशि एवं संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जो एक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का द्योतक है। क्षेत्रीय विश्लेषण के आधार पर चयनित लाभ प्राप्तकर्ताओं, सरकारी/गैर सरकारी अधिकारियों के अनुसार विकलांग पेंशन योजना मोटे तौर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है और चयनित लाभार्थियों को सामान्यतया नियमित रूप से पेंशन प्राप्त हो रही है। फिर भी क्षेत्रीय कार्य के दौरान कुछ कठिनाईयाँ दृष्टिगोचर हुई, जिनका विवरण यहाँ इस आशय से दिया जा रहा है कि विभाग द्वारा उक्त योजना को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके तथा असहाय विकलांगों को पेंशन प्राप्त करने में कठिनाई न हो।

1. **आयु की गणना** :

समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 65 वर्ष से कम आयु के विकलांग को 250 रूपये मय 10 किलो गेहूँ की राशि एवं 65 वर्ष या अधिक आयु के विकलांग को 400 रूपये की पेंशन देय थी। क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह अवलोकन किया गया कि लाभार्थियों का आयु का प्रमाण–पत्र न होने की स्थिति में लाभार्थियों द्वारा आयु में परिवर्तन कराने हेतु पटवारी/ग्राम सेवक/तहसीलदार के चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि विकलांग की आयु राशन कॉर्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र में सही अंकित नहीं होती है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह भी देखा गया कि कई बार कम आयु के विकलांग (57 वर्ष) को रिकॉर्ड में 65 वर्ष (अधिक आयु) की दिखाया गया। इसी प्रकार 70 वर्ष के विकलांग को 60 वर्ष दर्शाया गया था। यद्यपि राशन कार्ड में संबंधित अधिकारी द्वारा आयु दर्ज करते समय जानबूझकर ऐसी गलती नहीं की जाती है तथापि सरकार द्वारा आयु के आधार पर पेंशन दी जाने से पेंशन की राशि में स्वतः अन्तर हो जाता है। यद्यपि वर्ष 2007–08 के बजट भाषण में सभी प्रकार (आयु) के लाभार्थियों की पेंशन 400 रूपये कर दी गई है। अतः भविष्य में इस प्रकार की विसंगति होने की संभावना नहीं है। वर्तमान में विकलांग पेंशन की राशि (400/– रुपये) समान होने के कारण यह विसंगति स्वतः ही दूर हो गई है।

2. **ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर आवेदन पत्र भरवाने की व्यवस्था** :

योजनान्तर्गत सभी प्रकार के पेंशनरों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के पात्र व्यक्ति सीधे अथवा ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन–पत्र भरकर संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी को एवं शहरी क्षेत्र के पात्र लाभार्थी सीधे अथवा संबंधित निकाय के माध्यम से उप खण्ड अधिकारी को पेंशन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करते हैं। अधिकांश ग्रामीण लाभार्थियों के अशिक्षित होने के कारण आवेदन–पत्र में कमियाँ/विसंगतियाँ रह जाती हैं। जिनकी पूर्ति हेतु वे ग्राम पंचायत/पंचायत समिति एवं तहसीलदार के बार–बार चक्कर लगाते हैं। विकलांगों के असहाय होने की स्थिति में वह पेंशन स्वीकृत कराने से वंचित रह जाते हैं। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि जहाँ तक सम्भव हो पेंशन आवेदन–पत्र ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा अथवा किसी अभियान/शिविर में भरवाया जाये तथा उसी समय उसका सूक्ष्म परीक्षण कर लिया जावें, ताकि आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की कमी न रहे।

3. **विकलांग पात्र आवेदकों का चयन** :

क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह तथ्य भी उभरकर आया कि जिन क्षेत्रों में जन–प्रतिनिधि यथा– सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद सक्रिय एवं जागरूक है वे क्षेत्र के विकलांगों की पेंशन स्वीकृत करवा लेते हैं। वहीं कई क्षेत्रों के पात्र विकलांग पेंशन आवेदन–पत्र ही प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं या पेंशन स्वीकृत नहीं करवा पाते हैं। अतः पेंशन योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाना चाहिये जिससे पात्र व्यक्तियों का ही चयन हो सकेगा। पेंशन स्वीकृत करवाने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत को दिये जाने की व्यवस्था की जावें।

4. **विकलांग आवेदक की पात्रता में शिथिलता** :

पेंशन के प्रावधान के अनुसार विकलांग आवेदक के 20 वर्ष का पुत्र होते ही उसकी पेंशन स्वतः बन्द हो जाती हैं। क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित लाभार्थियों का मत था कि 20 वर्ष की आयु में पुत्र न तो अपनी पढ़ाई ही समाप्त कर पाता है और न ही कमाने लायक होता है। यदि न्यूनतम पढ़ाई अर्थात 12वीं कक्षा पास करने के बाद यदि वह किसी प्रकार का कार्य करना चाहता है तो रोजगार के अभाव में वह किसी प्रकार की आय सृजित करने में असमर्थ रहता है। अतः क्षेत्रीय अवलोकन के आधार पर इस आयु पर पुनर्विचार किया जाना प्रस्तावित है। चयनित लाभार्थियों के अनुसार परिवार के सदस्य की आयु में शिथिलता देकर 25 वर्ष किया जाना उचित रहेगा।

5. **विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं में समन्वय** :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं में ग्रामीण स्तर पर विकास अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृत कर कोषाधिकारी को भेजी जाती है। कोषाधिकारी द्वारा पी.पी.ओ. (पेंशन भुगतान आदेश) जारी कर तहसीलदार/सम्बन्धित सहायक पेंशन भुगतान अधिकारी को भेजा जाता है। जिसकी मूल प्रति संबंधित व्यक्ति को तथा एक प्रति पेंशन स्वीकृति अधिकारी को भेजी जाती है। पी.पी.ओ. की कार्बन कॉपी पढ़ने योग्य भी नहीं होती। इस संबंध में पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। विकास अधिकारी के अनुसार यदि पी.पी.ओ. की प्रति प्राप्त होती है तो उसे पत्रावलित कर लिया जाता है और यदि प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का स्मरण–पत्र कोषाधिकारी को नहीं भेजा जाता है। विकास अधिकारी के अनुसार उनका कार्य केवल पेंशन स्वीकृति तक ही सीमित है उनके द्वारा स्वीकृत पेंशन में से कितने व्यक्तियों को पी.पी.ओ. जारी हुए इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं और न ही इस संबंध में उनके द्वारा कोई प्रयास किया जाता है। अतः उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी के कार्यालय में पेंशनधारियों की स्वीकृति अनुसार पी.पी.ओ.का रिकार्ड संधारण करवाया जाना चाहिये। इस प्रकार उपखण्ड़ अधिकारी/विकास अधिकारी एवं कोषालय/उप–कोषालय में समन्वय नहीं रहता है। इतना ही नहीं शहरी व ग्रामीण पेंशन अलग–अलग अधिकारियों के पास होने से इकजाई सूचना कहीं भी उपलब्ध न होने के कारण योजना की प्रलेख सूचना एकत्रित करने में अत्यधिक कठिनाई महसूस हुई। अतः सिफारिश की जाती है कि सभी एजेन्सीज की भूमिका स्पष्ट की जानी चाहिए ताकि उनके द्वारा आवंटित कार्यों को सही व समय पर पूर्ण किया जा सके।

संक्षेप में योजनान्तर्गत आवेदन तैयार करना, स्वीकृत करना एवं पी.पी.ओ. जारी करने वाली एजेन्सीज अलग–अलग हैं और उनमें किसी प्रकार का तालमेल नहीं है। अतः सम्पूर्ण योजना का जिला/पंचायत समिति/निकाय स्तर पर एक नोडल अधिकारी बनाया जाये जो यह मॉनिटरिंग करे कि कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुए, कितने स्वीकृत हुए, कितने आवेदन–पत्रों पर पी.पी.ओ. जारी किया गया और कितने लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त हो रही है।

6. **मॉनिटरिंग व्यवस्था** :

योजना की मॉनिटरिंग व्यवस्था समुचित नहीं है क्योंकि योजना के नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालय में सूचना का एकरूपता से संधारण नहीं किया जा रहा है। इस हेतु न तो प्रपत्र निर्धारित है और न ही निश्चित दिनांक। केवल जिलों में कोषालय/उप–कोषालय अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की अलग–अलग सूचनाएं तैयार कर सीधे ही विभाग को भिजवायी जाती है। नोडल विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों में जिले की इकजाही सूचना एकत्रित

नहीं की जाती है जिसके कारण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं कोषालय/उप–कोषालय द्वारा दिये गये ग्रामीण एवं शहरी सूचनाओं के योग से मिलान नहीं होती है। अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग व्यवस्था की जावें। इसके लिए प्रपत्रों का निर्धारण कर जिलों को भेजे जावें तथा जिम्मेदारी निश्चित की जावें।

7. **पेंशन का भुगतान** :

विकलांगों को पेंशन कोषालय/उप–कोषालय कार्यालय से नकद अथवा मनीऑर्डर द्वारा प्राप्त होती है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान निम्न कठिनाईयाँ दृष्टिगोचर हुई :–

(i) कोषालय/उप–कोषालय कार्यालय में ग्राम पंचायतवार दिनांक निश्चित न होने से बेहद भीड़ हो जाती है फलतः लाभार्थी का पूरा दिन खराब होने से उनकी मजदूरी का नुकसान होता है। विकलांगों के साथ किसी अन्य व्यक्ति के आने से उसका समय व बस में आने जाने की राशि का अतिरिक्त भार पड़ता है।

(ii) मनीऑर्डर द्वारा राशि भेजने पर लाभार्थी के घर पर न मिलने पर राशि वापिस भिजवा दी जाती है जिसे अगली पेंशन के साथ दिया जाता है। अधिकांश जिलों में दो माह की पेंशन व कई स्थितियों में 3–4 माह की पेंशन एक साथ मनीआर्डर द्वारा डाकघरों के माध्यम से वितरित की जाती है, जिससे विकलांग पेंशनर्स को कठिनाई होती है।

वर्तमान में पोस्ट ऑफिस में ही लाभार्थी का बचत खाता खोलकर उसको पेंशन जमा कराने की योजना प्रगति पर है जिसके लिए पेंशनकर्ताओं से 100–100 रूपये लिये गये थे, लेकिन इस संबंध में डाकघर के कर्मचारियों से वार्ता करने पर उन्होंने बताया कि इससे स्टाफ की कमी के कारण कठिनाईयाँ अधिक बढ़ेगी। अभी तक मनीऑर्डर की राशि स्वयं पेंशनकर्ता को दी जाती है लेकिन एक बार पासबुक/चैकबुक खो जाने पर उस राशि को चैक के माध्यम से लाभार्थी का कोई भी रिश्तेदार (हस्ताक्षर/अंगूठा लगवाकर) निकाल सकता है। दूसरी ओर बार–बार पोस्ट ऑफिस आकर राशि निकालने में लाभार्थी का समय व धन दोनों ही अधिक व्यय होंगे। असहाय विकलांगों को तो और भी अधिक परेशानी होगी। पोस्ट ऑफिस में स्टाफ की कमी व पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रतिमाह पोस्टिंग में भी कठिनाई होगी।

अतः इस संबंध में यह सुझाव दिया जाता है कि पोस्ट ऑफिस से पेंशन राशि के वितरण की अपेक्षा वर्तमान तरीका अर्थात नकद अथवा मनीऑर्डर से राशि दिया जाना ही अधिक न्याय संगत रहेगा। चयनित लाभार्थी वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने के पक्ष में थे।

8. **पेंशन स्वीकृति में लगने वाला समय** :

सामान्यतया पेंशन हेतु आवेदन करने से लेकर पेंशन स्वीकृति व पी.पी.ओ. जारी करने में 2 से 3 माह का समय लगता है। इसका प्रमुख कारण आवेदन–पत्र भरने, स्वीकृति जारी करने और पी.पी.ओ. जारी करने का कार्य पृथक–पृथक अधिकारियों द्वारा व पृथक–पृथक विभागों द्वारा किया जाना है। यदि एक ही एजेन्सी द्वारा उपर्युक्त कार्य किया जाए अथवा तीनों एजेन्सियों में आपसी समन्वय हो तो इस प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी सम्भव है। अतः पेंशन स्वीकृति में लगने वाले समय को कम किया जाना चाहिये।

9. **लाभार्थियों को पेंशन में वृद्धि की जानकारी नहीं** :

अधिकांश विकलांग लाभार्थियों को पेंशन की राशि कब बढ़ी व कब से मिल रही है, की जानकारी नहीं थी। बढ़ी हुई राशि का भुगतान किसी क्षेत्र में जुलाई 2006 से किया जा रहा था तो कहीं सितम्बर 2006 से। कई लाभार्थियों से मनीऑर्डर की रसीद मांगी जाने पर कुछ का कहना था कि उन्हें रसीद दी ही नहीं जाती तो कुछ लाभार्थियों ने रसीद ही सम्भालकर नहीं रखते हैं, कम्प्यूटर की रसीदें पढ़ने में भी नहीं आ रही थी। डाकघर के ब्रांच मैनेजर के अनुसार मनीऑर्डर के साथ रसीद बहुत पतली आने से इस प्रकार की कठिनाई आ रही है। अतः सिफारिश की जाती है कि मनीऑर्डर के साथ रसीद अवश्य दी जानी चाहिए तथा पेंशन में वृद्धि के साथ–साथ पेंशन राशि भुगतान समयावधि की जानकारी भी मनीआर्डर की रसीद पर अंकित कर भिजवायी जानी चाहिये।

10. **पात्र विकलांगों को पेंशन** :

क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह बात मुख्य रूप से उभरकर आई कि जिन ग्राम पंचायतों के सरपंच जागरूक हैं वे गांव में किसी भी प्रकार के शिविर/अभियान चलते ही अपने क्षेत्र के पात्र व्यक्तियों की पेंशन स्वीकृत करवा लेते हैं लेकिन जहाँ पर पटवारी/ग्रामसेवक/सरपंच इस कार्य में रूचि नहीं लेते हैं वहाँ पर पात्र विकलांगों को पेंशन स्वीकृत नहीं हो पाती है। अतः योजना को प्रचार–प्रसार किया जावें तथा सर्वे करवाकर पात्र व्यक्तियों को चिन्हित् किया जावें तथा ग्राम सभा/शिविर आयोजित करवाकर पात्र व्यक्तियों के अनुमोदन पश्चात् ग्राम सभा में ही आवेदन की सम्पूर्ण कार्यवाही कर भरवाये जावें।

4.2 संक्षेप में विकलांग पेंशन योजना असहाय व्यक्तियों के लिए अत्यधिक सहायक एवं उपयोगी रही है। वर्तमान समय में 250 (200 नकद एवं 50 रूपये के गेहूँ) की राशि को बढ़ाया जाकर 400 रूपये कर दिया गया है। अतः क्षेत्रीय कार्य के दौरान विकलांगों द्वारा पेंशन राशि को बढ़ाए जाने की प्रार्थना स्वतः ही पूरी हो गयी है। यद्यपि यह राशि सम्पूर्ण गुजारा करने के लिए पूर्ण नहीं है तथापि प्रतिमाह प्राप्त होने वाली इस पेंशन राशि से विकलांगों को बहुत सम्बल मिला है, समाज व परिवार में उनका सम्मान बढ़ा है, मनोबल बढ़ा है, उनके आर्थिक स्तर में तुलनात्मक रूप से वृद्धि हुई है। अकेले, असहाय, बीमार एवं नहीं कमाने योग्य विकलांग के लिए तो यही एक जीवन का आसरा एवं आधार है। योजना का प्रचार–प्रसार किया जाकर सर्वे के माध्यम से वंचित पात्र व्यक्तियों को चिन्हित् किया जाकर ग्राम सभा में विचार–विमर्श कर (योग्य व्यक्तियों के) आवेदन–पत्र भरवाये जावें ताकि उसी समय उसका सूक्ष्म परीक्षण किया जा सके तथा पेंशन स्वीकृति में लगने वाले समय को और अधिक कम किया जा सके, यदि सम्भव हो तो स्वीकृति आदेश/पी.पी.ओ. की प्रति साधारण डाक से न भेजी जाकर पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें। पेंशन के नियमित भुगतान हेतु व कार्यालय में भीड़ कम करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतवार तिथि निश्चित कर दी जावें ताकि कार्यालय कर्मचारी व लाभार्थी दोनों को ही सुविधा हो सके। कई लाभार्थियों एवं सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों ने पेंशन के नियमित भुगतान हेतु पेंशन भुगतान का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों को देने का भी सुझाव दिया गया। योजना की मोनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि योजना से सम्बन्धित सभी सूचनाएं एक स्थान पर उपलब्ध हो सकें तथा उसमें किसी प्रकार की विसंगति न रहे।

————

परिशिष्ट–**VI**

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विकलांग/निःशक्त पेंशन योजना अन्तर्गत वर्ष 2003–04, 2004–05 व 2005–06 की संभाग/जिलेवार लाभान्वितों की संख्या

क्र.सं.	संभाग	जिला	वर्ष			
			2003–04	2004–05	2005–06	योग
1.	***उदयपुर***	***उदयपुर***	6287	6450	5597	18334
		डूंगरपुर	1575	1842	2390	5807
		बांसवाड़ा	1654	1616	1619	4889
		राजसमन्द	2626	2953	3140	8719
		चित्तौडगढ़	3825	3850	5097	12772
	योग		**15967**	**16711**	**17843**	***50521***
2.	***जयपुर***	***जयपुर***	4898	4395	5693	14986
		सीकर	3218	3252	3382	9852
		झुन्झुनू	1509	1785	2084	5378
		अलवर	1246	1426	1773	4445
		दौसा	909	1101	1535	3545
	योग		**11780**	**11959**	**14467**	***38206***
3.	***जोधपुर***	जोधपुर	2415	2402	2514	7331
		बाड़मेर	416	446	398	1260
		जैसलमेर	314	292	358	964
		जालौर	2756	2676	2953	8385
		पाली	1535	1752	2098	5385
		सिरोही	1572	1700	1772	5044
	योग		**9008**	**9268**	**10093**	***28369***
4.	अजमेर	अजमेर	2079	2607	11673	16359
		टोंक	1961	1990	2240	6191
		नागौर	2308	2527	2997	7832
		भीलवाड़ा	1901	1973	2387	6261
	योग		**8249**	**9097**	**19297**	***36643***
5.	कोटा	कोटा	1947	2436	2603	6986
		बूंदी	1388	1940	2164	5492
		बांरा	2003	2502	1797	6302
		झालावाड़	878	1198	1520	3596
	योग		**6216**	**8076**	**8084**	***22376***
6.	बीकानेर	बीकानेर	928	1061	1261	3250
		चूरू	1934	2313	2723	6970
		गंगानगर	1440	1902	2330	5672
		हनुमानगढ़	440	544	802	1786
	योग		**4742**	**5820**	**7116**	***17678***
7.	भरतपुर	भरतपुर	1261	1494	1684	4439
		सवाईमाधोपुर	1428	1676	1885	4989
		धौलपुर	510	590	608	1708
		करौली	1017	1459	1798	4274
	योग		**4216**	**5219**	**5975**	***15410***
	महायोग		**60178**	**66150**	**82875**	**209203**

प्रतिवेदन कार्य में सहभागी अधिकारी/कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम	पद	पदस्थापन
1.	श्रीमती मधु पोखरना	संयुक्त निदेशक	मुख्यालय, जयपुर
2.	श्री हजारी सिंह टाक	संयुक्त निदेशक (दिनांक 31–12–06 को सेवानिवृत्त)	मुख्यालय, जयपुर
3.	श्री भगवान सहाय यादव	सहायक निदेशक (O)	मुख्यालय, जयपुर
4.	श्रीमती पुष्पा माथुर	अन्वेषण सहायक	मुख्यालय, जयपुर
5.	श्रीमती सुनीता जैन	अन्वेषक	मुख्यालय, जयपुर
6.	श्रीमती दुर्गेश सक्सेना	अन्वेषक	मुख्यालय, जयपुर
7.	श्रीमती इन्द्रा शर्मा	अन्वेषक	मुख्यालय, जयपुर
8.	श्री बृजमोहन	शीघ्रलिपिक	मुख्यालय, जयपुर
9.	श्री रमेशचन्द्र शर्मा	मूल्यांकन अधिकारी	संभाग मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर
10.	श्रीमती लेखा महला	अन्वेषण सहायक	संभाग मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर
11.	श्रीमती बृज कुमारी सक्सेना	अन्वेषक	संभाग मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर
12.	श्रीमती सविता मौर्य	अन्वेषक	संभाग मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर
13.	श्री नरेन्द्र कुमार पोरवाल	अन्वेषण सहायक (दिनांक 1–11–2007 को सेवानिवृत्त)	संभाग मूल्यांकन कार्यालय,उदयपुर
14.	श्री ओमप्रकाश मेहता	अन्वेषक	संभाग मूल्यांकन कार्यालय,उदयपुर
15.	श्री छोटेलाल	अन्वेषक	संभाग मूल्यांकन कार्यालय,अजमेर
16.	श्रीमती सरोज लखावत	अन्वेषक	संभाग मूल्यांकन कार्यालय,अजमेर

———